

फा.सं. 42001/06/2023/एनसीवीईटी
राष्ट्रीय व्यावसायिक कौशल और प्रशिक्षण परिषद्
कौशल विकास और उद्यमशीलता मंत्रालय
भारत सरकार

दिनांक: 03.04.2024

विषय: दिव्यांगजनों के प्रशिक्षण के लिए व्यापक सुगम्यता मानकों के प्रावधान के लिए दिशानिर्देश।

1. “दिव्यांगजनों के प्रशिक्षण के लिए व्यापक सुगम्यता मानकों के प्रावधान के लिए दिशानिर्देश” भारत में व्यावसायिक शिक्षा, प्रशिक्षण और कौशल क्षेत्रों में दिव्यांगजनों हेतु समावेशिता को बढ़ावा देने और समान अवसरों को बनाए रखने के लिए तैयार किए गए व्यापक दिशानिर्देशों के रूप में काम करते हैं।
2. एनईपी 2020 में समावेशी शिक्षा प्रणाली की स्थापना पर बल दिया गया है जो दिव्यांगों सहित सभी छात्रों की विभिन्न शिक्षण आवश्यकताओं को पूरा करती है। इस समावेशी दृष्टिकोण का व्यावसायिक शिक्षा और प्रशिक्षण (वीईटी) तक भी विस्तार किया गया है, जिसमें सहायक प्रौद्योगिकियों का उपयोग, समावेशी पाठ्यक्रम का विकास और प्रभावी प्रशिक्षण का कार्यान्वयन शामिल है।
3. तदनुसार, एनसीवीईटी द्वारा दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग (डीईपीडब्ल्यूडी) और दिव्यांगजन कौशल परिषद् (एससीपीडब्ल्यूडी) के साथ उचित परामर्श करने के बाद दिव्यांगजनों के लिए व्यापक सुगम्यता मानक प्रदान करने के लिए दिशानिर्देश तैयार किए गए हैं। इन दिशानिर्देशों में दिव्यांगजनों के लिए प्रशिक्षण, जागरूकता निर्माण, सुलभ शिक्षा और उचित आवास, सहायक प्रौद्योगिकी, समावेशिता और रोजगार के अवसरों में वृद्धि के न्यूनतम मानकों पर ध्यान दिया गया है।
4. गोवा में पर्पल फेस्टिवल के दौरान सार्वजनिक परामर्श के लिए मसौदा दिशानिर्देश जारी किए गए थे, जिसमें 10 फरवरी, 2024 तक टिप्पणियाँ, इनपुट और सुझाव आमंत्रित किए गए थे। पारिस्थितिकी तंत्र से प्राप्त प्रासंगिक सुझावों/प्रतिक्रियाओं को दिशानिर्देश में शामिल किया गया था।
5. मसौदा दिशानिर्देशों का अंतिम संस्करण दिनांक 21 फरवरी, 2024 को आयोजित 10वीं परिषद् बैठक में अनुमोदन के लिए प्रस्तुत किया गया था और परिषद् ने इसे अनुमोदन प्रदान किया। दिशानिर्देशों को एतद्वारा अधिसूचित किया जा रहा है।
6. इन दिशानिर्देशों के कार्यान्वयन के दौरान प्राप्त फीडबैक और अपेक्षाओं के आधार पर एनसीवीईटी के अनुमोदन से समय-समय पर इन दिशानिर्देशों को आगे और संशोधित/अद्यतन किया जा सकता है।

कर्नल संतोष कुमार
(निदेशक)
एनसीवीईटी

दिव्यांगजनों
के
प्रशिक्षण के लिए व्यापक सुगम्यता मानकों
के प्रावधान के लिए
दिशानिर्देश



राष्ट्रीय व्यावसायिक शिक्षा और प्रशिक्षण परिषद्
अप्रैल, 2024

विषय-सूची

1.	प्रस्तावना और पृष्ठभूमि	6
1.1	कौशल पारिस्थितिकी तंत्र का अवलोकन	6
1.2	एनसीवीईटी - एक अवलोकन	6
1.3	दिव्यांगता का परिचय	7
1.3.1	दिव्यांगता की समझ	7
1.3.2	अंतर्राष्ट्रीय परिदृश्य: दिव्यांगजनों (पीडब्ल्यूडी) के लिए नीति, अधिनियम एवं नियम तथा अन्य प्रावधान	8
1.3.3	राष्ट्रीय परिदृश्य : दिव्यांगजनों (पीडब्ल्यूडी) के लिए नीति, अधिनियम एवं नियम तथा अन्य प्रावधान	9
1.3.4	दिव्यांगजनों के अधिकार (आरपीडब्ल्यूडी) अधिनियम, 2016 के अनुसार दिव्यांगजनों के लिए लागू अन्य प्रावधान	12
1.3.5	नियम	13
1.3.6	दिशानिर्देश	14
1.4	दिव्यांगजन क्षेत्र के लिए व्यावसायिक शिक्षा, प्रशिक्षण और कौशल का महत्व	14
2.	दिव्यांगजन दिशानिर्देशों की आवश्यकता, दायरा और उद्देश्य	15
2.1	आवश्यकता : हमें इन दिशानिर्देशों की आवश्यकता क्यों है	15
2.2	दायरा	16
2.3	उद्देश्य	16
3.	व्यावसायिक शिक्षा, प्रशिक्षण और कौशल (वीईटीएस) में दिव्यांगजनों (पीडब्ल्यूडी) के लिए सुगम्यता	16
3.1	विशेष अवसंरचना	16
3.1.1	तालिका - अवसंरचना मापदंड	17
3.2	प्रशिक्षण के लिए उपकरण और उपस्कर	22
3.2.1	प्रशिक्षण मापदंड : दिव्यांगजनों के सहायता प्राप्त शिक्षण के लिए उपकरण और उपस्कर	22
3.2.2	ऐसे प्रशिक्षणार्थियों के लिए, जो श्रवण बाधित हैं (पूर्णतः या आंशिक रूप से बाधित)	26
3.2.3	ऐसे प्रशिक्षणार्थियों के लिए, जो दृष्टि बाधित हैं (पूर्णतः या आंशिक रूप से दृष्टिहीन)	26
3.2.4	बौद्धिक दिव्यांगता वाले प्रशिक्षणार्थियों के लिए	26
3.2.5	शिक्षण संबंधी दिव्यांगता वाले प्रशिक्षणार्थियों के लिए	27
3.2.6	मल्टीपल स्कलेरोसिस (एमएस) से पीड़ित प्रशिक्षणार्थियों के लिए	27
3.2.7	हीमोफिलिया से पीड़ित प्रशिक्षणार्थियों के लिए	27
3.3	प्रशिक्षण के लिए शिक्षाशास्त्र (पेडागोगी)	27
3.3.1	व्याख्यान देने से अधिक समझाना	27
3.3.2	एक समय में एक कौशल पर ही ध्यान केन्द्रित करना	27
3.3.3	बताकर सिखाना	27
3.3.4	व्यक्तिगत कौशल/ मूल्यांकन योजना	29
3.3.5	अतिरिक्त अनुदेशात्मक कार्यनीतियाँ	29

3.4	पाठ्यचर्या	30
4.	दिव्यांगजनों के लिए व्यावसायिक शिक्षा, प्रशिक्षण और कौशल का कार्यान्वयन	31
4.1	एनएसक्यूएफ संरेखण और अनुमोदन	31
4.2	दिव्यांगजनों के लिए अर्हताओं के विकास और अंगीकरण करने के लिए प्रक्रिया	32
4.2.1	दिव्यांगजन अर्हताओं के लिए दृष्टिकोण	32
4.2.2	दिव्यांगजनों के लिए एक कौशल आधारित पाठ्यक्रम के कार्यान्वयन के लिए प्रमुख विचारण	33
4.3	एक दिव्यांगजन विशिष्ट अर्हता के लिए प्रशिक्षक और मूल्यांकनकर्ताओं की अपेक्षाएं	33
4.3.1	प्रशिक्षक की अपेक्षाएं	33
4.3.2	मास्टर प्रशिक्षक की अपेक्षाएं	34
4.3.3	मूल्यांकनकर्ता की अपेक्षाएं	34
4.4	एनसीआरएफ और अन्य सरकारी प्रावधानों के साथ संरेखण	35
5.	दिव्यांगजन क्षेत्र में व्यावसायिक शिक्षा, प्रशिक्षण और कौशल में विभिन्न हितधारकों की भूमिका	35
5.1	अवार्डिंग निकाय	35
5.2	मूल्यांकन एजेंसियाँ	36
5.3	प्रशिक्षण केन्द्र	37
5.4	नियामक निकाय (एनसीवीईटी)	37
5.5	केन्द्रीय मंत्रालय/ विभाग और राज्य सरकारी निकाय	38
5.5.1	केन्द्रीय मंत्रालय और विभाग	38
5.5.2	राज्य सरकार और विभाग	38
5.6	उद्योग	38
6.	समय-समय पर दिशानिर्देशों में संशोधन/ अद्यतन करने की प्रक्रिया	39

आमुख



राष्ट्रीय शिक्षा नीति (एनईपी) 2020 की नौव सुगमता, समानता, वहनीयता और जवाबदेही के सिद्धान्तों के आधार पर रखी गई थी, जिसका उद्देश्य भारत को ज्ञान और कौशल के विकास में वैश्विक नेता के रूप में स्थापित करना है। एनईपी 2020 में एक प्रगतिशील, लचीली और समावेशी शिक्षा प्रणाली की कल्पना की गई है, जो छात्रों को तेजी से बदल रही दुनिया के लिए तैयार करती है। इसमें समावेशी शिक्षा के महत्व पर बल दिया गया है, जो पूरे समाज के लिए समान अवसर प्रदान करती है। भारत सरकार द्वारा शुरू किया गया राष्ट्रीय क्रेडिट फ्रेमवर्क (एनसीआरएफ) शिक्षु की गति पर ध्यान दिए बिना सभी प्रकार की शिक्षण की मान्यता की सुविधा प्रदान करके एनईपी 2020 का संचालन करता है।

व्यावसायिक शिक्षा, प्रशिक्षण और कौशल (वीईटीएस) के लिए नियामक प्राधिकरण के रूप में राष्ट्रीय व्यावसायिक शिक्षा और कौशल परिषद् (एनसीवीईटी) वीईटीएस पारिस्थितिकी तंत्र के भीतर समानता और सुगम्यता को लागू करने के लिए प्रतिबद्ध है। एनसीवीईटी के “दिव्यांगजनों के प्रशिक्षण के लिए व्यापक सुगम्यता मानकों के प्रावधान के लिए दिशानिर्देश” का उद्देश्य समावेशी और सुगम्यता को बढ़ावा देना, विशेष रूप से दिव्यांगजनों (पीडब्ल्यूडी) की आवश्यकताओं पर ध्यान केन्द्रित करना है। ये दिशानिर्देश वीईटीएस में दिव्यांगजनों के लिए समान अवसर सुनिश्चित करते हैं, विशिष्ट आवश्यकताओं पर ध्यान देते हैं, सहायक उपकरणों का उपयोग करने को बढ़ावा देते हैं और दिव्यांगजनों के शैक्षणिक और कौशल विकास में वृद्धि के लिए आवश्यक समावेशी अवसरचना और आवास प्रदान करते हैं।

दिव्यांगजन (पीडब्ल्यूडी) हमारे समाज के महत्वपूर्ण सदस्य हैं, जिनमें प्रत्येक में विशिष्ट प्रतिभाएं और क्षमताएं हैं। उनकी विशिष्ट आवश्यकताओं को स्वीकार करने और पूरा करने से एक समावेशी, विविधतापूर्ण समुदाय और कार्यबल को बढ़ावा मिलता है। दिव्यांगजनों को सशक्त बनाने से सामाजिक अनुभवों और दृष्टिकोणों को बल मिलता है, जो उनके लिए एक समर्थकारी वातावरण बनाने के लिए महत्व को रेखांकित करता है।

इन दिशानिर्देशों को दिव्यांगजनों (पीडब्ल्यूडी) की विशिष्ट आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए सावधानीपूर्वक तैयार किया गया है, जिनमें अनुरूप प्रावधान किए गए हैं। इनका उद्देश्य कौशल आधारित अर्हताएं तैयार करना और उन्हें परिष्कृत करना है जिनसे न केवल दिव्यांगों की आवश्यकताओं की पूर्ति होती है, बल्कि उनकी विशिष्ट क्षमताओं पर भी ध्यान दिया गया है। इसमें मौजूदा कौशल कार्यक्रमों को उनकी संज्ञानात्मक और शैक्षणिक आवश्यकताओं के अनुरूप बनाना शामिल है, जिससे उनकी रोजगार क्षमता में बढ़ोत्तरी होती है। इसके अलावा, दिशानिर्देशों में पारिस्थितिकी तंत्र के भीतर जागरूकता और संवेदनशीलता को बढ़ावा देने का प्रयास किया गया है, जो दिव्यांगों के अनुकूल कार्यस्थल का समर्थन करते हैं। परिणामस्वरूप, इन दिशानिर्देशों से दिव्यांगों की क्षमता का उपयोग कर और आर्थिक गतिविधियों में उनकी सक्रिय भागीदारी को बढ़ावा देकर राष्ट्रीय कौशल विकास उद्देश्यों को मजबूती प्रदान की जाएगी।

एनईपी 2020 के विजन और लक्ष्यों के अनुरूप हमारा ध्यान दिव्यांगों के लिए विशेष कौशल कार्यक्रमों के साथ-साथ समावेशी और समान शिक्षा तक पहुंच प्रदान करने पर रहा है। भारत के कौशल पारिस्थितिकी तंत्र में दिव्यांगों

की भागीदारी होने से उनकी विशिष्ट आवश्यकताओं की पूर्ति होती है और रोजगार क्षमता में सुधार होता है। ये दिशानिर्देश दिव्यांगों की आवश्यकताओं के अनुसार कौशल आधारित अर्हताओं को अनुकूल बनाने, उनकी रोजगार की संभावना को बढ़ाने और एक सहायक पारिस्थितिकी तंत्र को बढ़ावा देने के लिए तैयार किए गए हैं।

मैं इन दिशानिर्देशों को तैयार करने में शामिल सभी हितधारकों, विशेष रूप से दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग और दिव्यांगजन कौशल परिषद् (एससीपीडब्ल्यूडी) का उनके बहुमूल्य फीडबैक के लिए आभारी हूँ। मैं डॉ. नीना पाहुजा, डॉ. विनीता अग्रवाल और एनसीवीईटी से कर्नल संतोष कुमार के साथ-साथ सुश्री सारिका दीक्षित, श्री परीक्षित यादव और श्री बैजू बालन का भी उनके योगदान के लिए धन्यवाद करता हूँ, जिनकी अंतर्दृष्टि से इन दिशानिर्देशों को महत्वपूर्ण आकार मिला।

“दिव्यांगजनों के प्रशिक्षण के लिए व्यापक सुगम्यता मानकों के प्रावधान के लिए दिशानिर्देश” व्यावसायिक शिक्षा में पहुंच और समानता के अंतर को समाप्त करने के लिए बनाए गए हैं, जो दिव्यांगजनों के सशक्तिकरण और कौशल का मार्गदर्शन करते हैं।

डॉ. निर्मलजीत सिंह कलसी,
आईएस सेवानिवृत्त
अध्यक्ष, एनसीवीईटी

दिव्यांगजनों के प्रशिक्षण के लिए व्यापक सुगम्यता मानकों के प्रावधान के लिए दिशानिर्देश

1. प्रस्तावना और पृष्ठभूमि

1.1 कौशल पारिस्थितिकी तंत्र का अवलोकन

कौशल भारत मिशन भारत सरकार द्वारा देश भर में विभिन्न कौशल विकास कार्यक्रमों के माध्यम से भारत और विदेशों में विभिन्न उद्योगों में कुशल जनशक्ति की मांग और आपूर्ति के बीच अंतर को समाप्त करने के लिए शुरू की गई एक पहल है। कौशल भारत को देश के युवाओं को ऐसे कौशल सेट के साथ सशक्त बनाने के लिए शुरू किया गया है, जो उन्हें कार्यगत वातावरण में अधिक उपयोगी बनाते हैं और उनके आजीविका प्राप्त करने के अवसर बढ़ाते हैं।

इस समय, भारत एक ऐसा देश है, जहां 65 प्रतिशत युवा कामकाजी आयु वर्ग के हैं। यदि कभी इस जनसांख्यिकीय लाभ को प्राप्त करने का कोई तरीका होता है, तो वह युवाओं के कौशल विकास के माध्यम से ही है, ताकि वे न केवल अपने व्यक्तिगत विकास में योगदान दे सकें बल्कि देश के आर्थिक विकास में भी योगदान दे दें। स्किल इंडिया की जिम्मेदारी है कि वह देश में सभी कौशल विकास कार्यक्रमों में समान मानदंडों का कार्यान्वयन सुनिश्चित करे ताकि वे सभी मानकीकृत हों और एक उद्देश्य से जुड़े हों। केन्द्र और राज्य सरकारें कौशल विकास के लिए कई योजनाएं तैयार करती हैं और प्रस्तावित करती हैं। भारत में कौशल विकास के लिए एक अधिक केन्द्रित दृष्टिकोण, कौशल विकास और उद्यमशीलता मंत्रालय (एमएसडीई) नाम से एक अलग मंत्रालय बनने के बाद आया, जो कौशल विकास के लिए समर्पित है, जो नवम्बर, 2014 में अस्तित्व में आया।

1.2 एनसीवीईटी - एक अवलोकन

कौशल विकास और उद्यमशीलता मंत्रालय (एमएसडीई) द्वारा दिनांक 05 दिसम्बर, 2018 को राष्ट्रीय व्यावसायिक शिक्षा और प्रशिक्षण परिषद् (एनसीवीईटी) को अधिसूचित किया गया था, ताकि भारत में खंडित नियामक प्रणालियों को एकीकृत किया जा सके और संपूर्ण कौशल/व्यावसायिक प्रशिक्षण मूल्य श्रृंखला (वैल्यू चेन) में गुणवत्ता आश्वासन को शामिल किया जा सके, जिससे बेहतर परिणाम मिल सके। एनसीवीईटी एक व्यापक कौशल विकास विनियामक है, जो दीर्घावधिक और अल्पावधिक, दोनों प्रकार की व्यावसायिक शिक्षा और प्रशिक्षण में शामिल संस्थाओं के कामकाज को विनियमित करेगा और ऐसी संस्थाओं के कामकाज के लिए न्यूनतम मानकों की स्थापना करेगा। एनसीवीईटी के प्रमुख कार्यों में निम्नलिखित शामिल हैं-

- क. अवार्डिंग निकायों (एबी), मूल्यांकन एजेंसियों (एए) और कौशल संबंधी सूचना प्रदाताओं की मान्यता और नियमन
- ख. अर्हताओं का अनुमोदन
- ग. मान्यता प्राप्त संस्थाओं की निगरानी और पर्यवेक्षण

घ. शिकायत निवारण

भारत में कौशल पारिस्थितिकी तंत्र में प्रमुख भूमिका अवार्डिंग निकायों, मूल्यांकन एजेंसियों तथा प्रशिक्षण प्रदाताओं की होती है; जिसमें अवार्डिंग निकाय नौकरी के मानकों को स्पष्ट करता है एवं दक्षताओं को प्रमाणित करता है और मूल्यांकन एजेंसी एक मूल्यांकन एवं वैधीकरण प्रक्रिया का पालन करती है जो औपचारिक रूप से किसी व्यक्ति के शिक्षण के परिणामों (ज्ञान, कौशल और/या दक्षताओं) का मूल्यांकन करती है जबकि प्रशिक्षण केंद्र प्रभावी गुणवत्ता प्रशिक्षण सुनिश्चित करने के लिए उत्तरदायी होते हैं।

1.3 दिव्यांगता का परिचय

1.3.1 दिव्यांगता को समझना

दिव्यांगता शरीर या मन की कोई स्थिति (दुर्बलता) है, जो इस स्थिति वाले व्यक्ति के लिए कुछ गतिविधियाँ करना (गतिविधि सीमा) और आगे आसपास की दुनिया के साथ परस्पर क्रिया अधिक कठिन बना देती है (भागीदारी प्रतिबंध)। दिव्यांगजनों के अधिकार अधिनियम, 2016 के अनुसार, “दिव्यांगजन” से तात्पर्य, दीर्घावधिक शारीरिक, मानसिक, बौद्धिक या संवेदी दुर्बलता वाले व्यक्ति से है, जो बाधाओं के साथ परस्पर क्रिया में अन्य व्यक्तियों के समान समाज में उनकी पूर्ण और प्रभावी भागीदारी में बाधा डालती है। दिव्यांगजनों में ऐसे व्यक्ति शामिल हैं, जिनमें दीर्घावधिक शारीरिक, मानसिक, बौद्धिक या संवेदी दुर्बलता होती है, जो विभिन्न बाधाओं के साथ परस्पर क्रिया में, अन्य व्यक्तियों के समान समाज में उनकी पूर्ण और प्रभावी भागीदारी में बाधा डालती है। दिव्यांगता दिखाई दे सकती है, जैसे किसी व्यक्ति को घड़ी के सहारे चलते हुए देखना या यह अदृश्य हो सकती है, जैसे बौद्धिक दिव्यांगता के मामले में। दिव्यांगता स्तर यह नहीं बताता कि कोई व्यक्ति क्या कर सकता है या क्या नहीं कर सकता। दिव्यांगजन समरूप समूह के नहीं होते हैं। भले ही उनमें दिव्यांगता का प्रकार या लेबल एक ही हो, परन्तु उनकी क्षमताएं और जरूरतें अलग-अलग हो सकती हैं। उदाहरण के लिए, दृष्टि दोष वाला एक व्यक्ति पूरी तरह से दृष्टिहीन हो सकता है जबकि दूसरे व्यक्ति की दृष्टि आंशिक या कम हो सकती है और वह बड़े प्रिंट को पढ़ने में सक्षम हो सकता है।

विभिन्न संगठन दिव्यांगता को निम्नानुसार परिभाषित करते हैं :-

- क) विश्व स्वास्थ्य संगठन का कहना है कि “दिव्यांगता एक व्यापक शब्द है, जिसमें दुर्बलता, गतिविधि सीमाएं और भागीदारी प्रतिबंध शामिल हैं। दुर्बलता शरीर के कार्य या संरचना में एक समस्या है; गतिविधि सीमा किसी व्यक्ति द्वारा किसी कार्य या क्रियाकलाप को निष्पादित करने में सामने आने वाली समस्या है; जबकि भागीदारी प्रतिबंध किसी व्यक्ति के जीवन की स्थितियों में शामिल होने में सामने आई एक समस्या है। इस प्रकार दिव्यांगता एक जटिल स्थिति है, जो किसी व्यक्ति की शारीरिक विशेषताओं और उस समाज की विशेषताओं के बीच प्रतिक्रिया को दर्शाती है, जिनमें वह रहता/ रहती है।”
- ख) दिव्यांगजनों के अधिकारों पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन (यूएनसीआरपीडी) के अनुच्छेद 1 के अनुसार, “दिव्यांगजनों में वे जन शामिल हैं, जिनमें दीर्घावधिक शारीरिक, मानसिक, बौद्धिक या संवेदी दुर्बलताएं हैं, जो विभिन्न बाधाओं के साथ प्रतिक्रिया में समाज में दूसरों के साथ समान आधार पर उनकी पूर्ण और प्रभावी भागीदारी में बाधा डाल सकती हैं।”

- ग) **अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन (आईएलओ)** के अनुसार, दिव्यांगजनों में वे लोग शामिल हैं, जिनमें दीर्घावधिक शारीरिक, मानसिक, बौद्धिक या संवेदी दुर्बलताएं हैं, जो विभिन्न बाधाओं के साथ प्रतिक्रिया में दूसरों के साथ समान आधार पर उनकी पूर्ण और प्रभावी भागीदारी में बाधा डाल सकती हैं।
- घ) **दिव्यांगजनों के अधिकार अधिनियम, 2016 (आरपीडब्ल्यूडी अधिनियम, 2016)** विभिन्न निर्दिष्ट दिव्यांगताओं की पहचान करता है, जिन्हें व्यापक रूप से पांच श्रेणियों में वर्गीकृत किया गया है :
- शारीरिक दिव्यांगता** - ऐसी स्थिति जो जीवन में एक या अधिक बुनियादी शारीरिक गतिविधियों (जैसे चलना, सीढ़ियाँ चढ़ना, पहुंचना, ले जाना या उठाना) को काफी हद तक सीमित करती है।
 - बौद्धिक दिव्यांगता**, जिसमें विशिष्ट शिक्षण की अक्षमता, ओटिज्म स्पेक्ट्रम विचार शामिल हैं।
 - मानसिक व्यवहार (मानसिक बीमारी) दिव्यांगता** का कारण : गंभीर तंत्रिका संबंधी स्थितियाँ जैसे पार्किन्सन रोग और विविध सिरोंसिस।
 - रक्त विकार** जैसे हीमोफिलिया, थैलासीमिया और सिकल सेल रोग
 - विविध दिव्यांगता।**

1.3.2 अंतर्राष्ट्रीय परिदृश्य : दिव्यांगजनों के लिए नीति, अधिनियम और नियम तथा अन्य प्रावधान

क. अंतर्राष्ट्रीय नीति :

यह मानते हुए कि दिव्यांगता एक विकसित अवधारणा है, दुनिया भर में विभिन्न संगठनों ने दिव्यांगता और उससे संबंधित मुद्दों को परिभाषित किया/ बताया है। उनमें से कुछ इस प्रकार हैं -

- विश्व स्वास्थ्य संगठन** दिव्यांगता को व्यक्ति के लिए एक बहुआयामी अनुभव के रूप में मानता है। अंगों या शरीर के भागों पर प्रभाव पड़ सकता है और जीवन के क्षेत्रों में व्यक्ति की भागीदारी पर भी प्रभाव पड़ सकता है।
- विश्व बैंक** यह मानता है कि दिव्यांगजनों को अर्थव्यवस्था से बाहर रखने से लगभग 5 प्रतिशत से 7 प्रतिशत की जीडीपी हानि होती है। व्यक्तिगत और पारिवारिक लाभों के अलावा, श्रम शक्ति भागीदारी में वृद्धि के लिए एक मजबूत आर्थिक अनिवार्यता भी है, जो देश में कुशल श्रम शक्ति की कमी को दूर करने में सहायता करेगी और साथ ही कल्याण की निर्भरता से संबद्ध राजकोषीय दबावों को कम करेगी।
- दिव्यांगजनों के अधिकारों पर सम्मेलन में कहा गया है :** दिव्यांगता दिव्यांगजनों और मनोवृत्ति व पर्यावरणीय बाधाओं के बीच बातचीत से उत्पन्न होती है जो दूसरों के साथ समान आधार पर समाज में पूर्ण और प्रभावी भागीदारी में बाधा डालती है। इसमें यह भी कहा गया है कि “दिव्यांगता एक गैर-समावेशी समाज और व्यक्तियों के बीच बातचीत से उत्पन्न होती है।” उदाहरण के लिए, व्हीलचेयर का उपयोग करने वाले व्यक्ति को व्हीलचेयर के कारण से नहीं बल्कि पर्यावरणीय बाधाओं जैसे अगम्य बसों या सीढ़ियों के कारण रोजगार प्राप्ति में कठिनाई आ सकती है, जो पहुंच में बाधा डालती है। शिक्षा तक समान पहुंच सुनिश्चित करने के लिए हमें यथासंभव सभी बाधाओं - भौतिक और मनोवृत्तिगत, दोनों को दूर करना होगा।

- iv. **दिव्यांगजनों के अधिकारों पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन (यूएनसीआरपीडी), 2006** : सम्मेलन को दिनांक 13 दिसम्बर, 2006 को संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा अंगीकरण किया गया और दिनांक 30 मार्च, 2007 को राज्य पक्षों द्वारा हस्ताक्षर किए जाने के लिए खोला गया। सम्मेलन का अंगीकरण करने से दुनिया भर में दिव्यांगजनों को अपने अधिकारों की मांग करने और राज्य, निजी और नागरिक समाज एजेंसियों को उनके अधिकारों का उपयोग करने के लिए जवाबदेह बनाने के लिए सशक्त बनाया गया है। भारत सम्मेलन की पुष्टि करने वाले कुछ पहले देशों में से है। दिनांक 30 मार्च, 2007 को सम्मेलन पर हस्ताक्षर किए जाने के फलस्वरूप भारत ने दिनांक 01 अक्टूबर, 2007 को सम्मेलन की पुष्टि की। सम्मेलन दिनांक 03 मई, 2008 को लागू हुआ। सम्मेलन प्रत्येक राज्य पक्ष पर निम्नलिखित तीन महत्वपूर्ण दायित्व डालता है :-

क. सम्मेलन के प्रावधानों का कार्यान्वयन

ख. देश के कानूनों को सम्मेलन के साथ सुसंगत बनाना, और

ग. एक देश की रिपोर्ट तैयार करना

सम्मेलन के प्रभावी कार्यान्वयन के लिए ठोस कदम उठाते हुए, सभी संबंधित केन्द्रीय मंत्रालयों से अनुरोध किया गया कि वे सम्मेलन के प्रावधानों को लागू करें, जो उनमें से प्रत्येक पर लागू हो सकते हैं। इसी प्रकार सभी राज्यों के मुख्य मंत्रियों और केन्द्र शासित प्रदेशों के प्रशासकों से भी अनुरोध किया गया कि वे सम्मेलन के तहत विभिन्न प्रावधानों/ दायित्वों की जांच करें, क्योंकि वे उनसे संबद्ध हो सकते हैं और उनको शीघ्र कार्यान्वित करने के लिए प्रभावी उपाय करें। राज्य सरकारों/ केन्द्र शासित प्रदेशों के प्रशासकों से इस संबंध में एक स्थिति रिपोर्ट प्रस्तुत करने के लिए भी कहा गया, ताकि इसका प्रयोग देश की रिपोर्ट तैयार करने के लिए इस संबंध में कठोर निगरानी और अनुवर्ती कार्रवाई की जा रही है। भारत की पहली देशीय रिपोर्ट

([https://disabilityaffairs.gov.in/upload/uploadfiles/files/First%20Country%20Report%20\(1\)compressed.pdf](https://disabilityaffairs.gov.in/upload/uploadfiles/files/First%20Country%20Report%20(1)compressed.pdf)) पर नवम्बर, 2015 में व्यक्तियों के अधिकारों पर संयुक्त राष्ट्र समिति को प्रस्तुत की गई थी।

- v. **इंचियोन कार्यनीति** : एशिया और प्रशांत क्षेत्र में दिव्यांगजनों के “अधिकारों को वास्तविक बनाने” के लिए इंचियोन कार्यनीति। एशिया और प्रशांत क्षेत्र के लिए संयुक्त राष्ट्र आर्थिक और सामाजिक आयोग (ईएससीएपी) के सदस्यों और सहयोगी सदस्यों के मंत्री व प्रतिनिधि दिव्यांगजनों के एशियाई और प्रशांत दशक 2003-2012 के कार्यान्वयन की अंतिम समीक्षा पर उच्च स्तरीय अंतर-सरकारी बैठक में दिनांक 29 अक्टूबर से 02 नवम्बर, 2012 तक इंचियोन, कोरिया में एकत्र हुए और एशिया व प्रशांत क्षेत्र में दिव्यांगजनों के लिए इंचियोन कार्यनीति को अपनाया। दिनांक 25 अप्रैल से 01 मई, 2003 तक आयोजित अपने 69वें सत्र में सीनेट ने मंत्री स्तरीय घोषणा और इंचियोन कार्यनीति का समर्थन करते हुए एक प्रस्ताव पारित किया।
- vi. **बीजिंग घोषणा** : दिव्यांगजनों के लिए एशिया और प्रशांत दशक (2013-2022) की मध्यावधिक समीक्षा पर उच्च स्तरीय अंतर-सरकारी बैठक बीजिंग में दिनांक 27 नवम्बर से 01 दिसम्बर, 2017 तक आयोजित की गई। बैठक में विचार-विमर्श के बाद, बीजिंग घोषणा को अपनाया गया, जिसमें अगले पांच

वर्षों में इंचियोन कार्यनीति के लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए राज्य पक्षों के लिए एक कार्य योजना की रूपरेखा दी गई है।

1.3.3 राष्ट्रीय परिदृश्य : दिव्यांगजनों के लिए नीति, अधिनियम और नियम तथा अन्य प्रावधान

भारत सरकार ने दिव्यांगजनों के लिए एक ऐसा वातावरण तैयार करने के उद्देश्य से राष्ट्रीय दिव्यांग नीति तैयार की है, जिसमें दिव्यांगजनों को उनके अधिकारों की सुरक्षा और समाज में पूर्ण भागीदारी के लिए समान अवसर प्रदान किए जा सकें। इस नीति का उद्देश्य यह पहचानना है कि दिव्यांगजन देश के लिए एक मूल्यवान मानव संसाधन हैं और यदि उन्हें समान अवसर और पुनर्वास उपायों तक प्रभावी पहुंच मिले तो ऐसे अधिकांश जन बेहतर जीवन जी सकते हैं। नीति में दिव्यांगजनों के अधिकारों की सुरक्षा और समाज में उनके समावेश को सुनिश्चित करने के लिए विशिष्ट उपायों और कार्यनीतियों की रूपरेखा दी गई है।

2011 की जनगणना के अनुसार, **भारत में 2.68 करोड़ दिव्यांगजन हैं** (1.49 करोड़ पुरुष और 1.18 करोड़ महिला दिव्यांगजन)। तथापि, दिव्यांगजन भारत की आबादी का एक महत्वपूर्ण प्रतिशत हैं, लेकिन “दिव्यांगजन अधिनियम, 1995” के कार्यान्वयन के बावजूद, समर्थक रोजगार की उनकी जरूरतें काफी हद तक पूरी नहीं पाई हैं। कुल आबादी में दिव्यांगजनों की संख्या ग्रामीण क्षेत्र में अनुपात से अधिक है, जो सामान्य गरीबी और स्वास्थ्य सेवाओं तक खराब पहुंच होने के कारण और भी बढ़ जाती है। ग्रामीण क्षेत्र में दिव्यांग कौशल और बाजारों से काफी हद तक कटे हुए हैं।

- क. 2011 की जनगणना के अनुसार, लगभग **1.34 करोड़ दिव्यांगजन 15 से 59 वर्ष की रोजगार योग्य आयु सीमा के हैं**। रोजगार योग्य आयु समूह में लगभग 99 लाख दिव्यांगजन गैर-श्रमिक या सीमांत श्रमिक थे।
- ख. ग्रामीण क्षेत्रों में दिव्यांगों के लिए प्रशिक्षण अवसरचना की बहुत कम पहुंच।
- ग. दिव्यांगों के कौशल प्रशिक्षण में निजी क्षेत्र की भागीदारी का बहुत कम स्तर।
- घ. मांग और आपूर्ति के बीच भारी अंतर को देखते हुए कौशल प्रशिक्षित अवसरचना को बढ़ाने की तत्काल जरूरत है।
- ड. दिव्यांग जनों को विभिन्न मंत्रालयों/ विभागों द्वारा दिया जाने वाला कौशल प्रशिक्षण ओवरलेप और खंडित है।

2011 की गणना के अनुसार दिव्यांगजनों की श्रेणी-वार संख्या			
दिव्यांगता का प्रकार	व्यक्ति	पुरुष	महिलाएं
देखने में	50,33,431	26,39,028	23,94,403
सुनने में	50,72,914	26,78,584	23,94,330
बोलने में	19,98,692	11,22,987	8,75,705
चलने में	54,36,826	33,70,501	20,66,325
मानसिक अक्षमता	15,05,964	8,70,898	6,35,066
मानसिक बीमारी	7,22,880	4,15,758	3,07,122
कोई अन्य	49,27,589	27,28,125	21,99,464
बहु-दिव्यांगता	21,16,698	11,62,712	9,53,986
कुल	2,68,14,994	1,49,885,93 (55.90%)	1,18,264,01 (44.10%)

2.1.2 आवासीय क्षेत्रों में दिव्यांगजनों का वर्गीकरण इस प्रकार है :-

आवासीय क्षेत्र में दिव्यांग आबादी, भारत, 2011*

आवासीय	व्यक्ति	पुरुष	महिलाएं
शहरी	81,78,636 (30.50%)	45,78,034	36,00,602
ग्रामीण	1,86,36,358 (69.50%)	1,04,10,559	82,25,799
कुल	2,68,14,994	1,49,88,593	1,18,26,401

*स्रोत : महापंजीयक और जनगणना आयुक्त का कार्यालय, भारत

दिव्यांगता क्षेत्र में निम्नलिखित तीन अधिनियम लागू हैं :-

क. दिव्यांगजनों के अधिकार, अधिनियम, 2016

ख. स्वपरायणता (ओटिज्म), प्रमस्तिष्क घात (सेरेब्रल पाल्सी), मानसिक मन्दता और बहु-दिव्यांगताग्रस्त व्यक्तियों के कल्याण के लिए राष्ट्रीय न्यास अधिनियम, 1999

ग. भारतीय पुनर्वास परिषद् अधिनियम, 1992

इसके अलावा, **विशिष्ट दिव्यांगता आईडी (यूडीआईडी)** भारत सरकार के सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग की एक **प्रमुख परियोजना** है। यह परियोजना 2017 में सभी दिव्यांगजनों (पीडब्ल्यूडी) के लिए उनके सामाजिक आर्थिक ब्यौरों के साथ एक राष्ट्रीय डेटाबेस बनाने के उद्देश्य से शुरू की गई थी। इस परियोजना के तहत भारत के सभी राज्यों/ संघ शासित प्रदेशों में एकल ऑनलाइन पोर्टल <https://www.swavlambancard.gov.in/> के माध्यम से सभी “दिव्यांगजनों” को यूडीआईडी कार्ड जारी करने की सुविधा प्रदान की जाती है। नवम्बर, 2023 तक 1 करोड़ से अधिक यूडीआईडी कार्ड बनाए जा चुके हैं।

दिव्यांगजनों के अधिकार (आरपीडब्ल्यूडी) अधिनियम, 2016 को 28 दिसम्बर, 2016 को अधिनियमित किया गया था और दिनांक 19 अप्रैल, 2017 को प्रवृत्त हुआ। अधिनियम की मुख्य विशेषताएं इस प्रकार हैं -

क. उपयुक्त सरकारों को यह सुनिश्चित करने के लिए प्रभावकारी उपाय करने की जिम्मेदारी प्रदान की गई है कि दिव्यांगजन दूसरों के समान अपने अधिकारों का लाभकारी उपयोग कर सकें।

ख. एक विकासपरक और गतिशील अवधारणा के आधार पर दिव्यांगता को परिभाषित किया गया है।

ग. अधिनियम में निम्नलिखित निर्दिष्ट दिव्यांगताएं शामिल हैं -

i. शारीरिक दिव्यांगता

क. चलने फिरने (लोकोमोटर) की दिव्यांगता


- कुष्ठ रोग (लेप्रोसी) से ठीक हुए व्यक्ति
- सेरेब्रल पाल्सी
- बौनापन (इवार्फिज्म)
- मस्कुलर डिस्ट्रॉफी
- एसिड हमले के पीड़ित

ख. दृष्टिबाधित

- दृष्टिहीनता

- कम दृष्टि
- ग. श्रवण दोष
 - बधिरता
 - कम सुनाई देना
- घ. वाणी और भाषा संबंधी दिव्यांगता
- ii. **बौद्धिक दिव्यांगता**
 - क. विशिष्ट शिक्षण की दिव्यांगता
 - ख. ऑटिज्म स्पेक्ट्रम विकार
- iii. **मानसिक व्यवहार (मानसिक बीमारी)**
- iv. **निम्नलिखित के कारण दिव्यांगता :**
 - क. पुरानी मांसपेशीय (क्रॉनिक न्यूरोलॉजिकल) स्थितियाँ, जैसे -
 - i. मल्टीपल सिरोसिस
 - ii. पार्किंसन का रोग
 - ख. रक्त विकार -
 - i. हीमोफीलिया
 - ii. थैलासीमिया
 - iii. सिकल सेल रोग
- v. **बधिरता दृष्टिहीनता सहित विविध दिव्यांगता**

विभिन्न प्रकार की दिव्यांगता को दर्शाने वाला एक निदर्शी आरेख नीचे दिया गया है :-



1.3.4 दिव्यांगजनों के अधिकार (आरपीडब्ल्यूडी) अधिनियम, 2016 के अनुसार दिव्यांगजनों के लिए लागू अन्य प्रावधान

- क. दिव्यांगजनों के अधिकार (आरपीडब्ल्यूडी) अधिनियम, 2016 के अनुसार, बेंचमार्क दिव्यांगजन से तात्पर्य 40 प्रतिशत से कम निर्दिष्ट दिव्यांगता वाले व्यक्ति से है।
- ख. आरपीडब्ल्यूडी अधिनियम, 2016 के तहत बेंचमार्क दिव्यांगजनों और उच्च सहायता के जरूरत वाले व्यक्तियों के लिए अतिरिक्त लाभ प्रदान किए गए हैं।
- ग. 6 से 18 वर्ष के बीच की आयु सीमा के बेंचमार्क दिव्यांगता वाले प्रत्येक बच्चे को मुफ्त और समावेशी शिक्षा का अधिकार होगा।
- घ. अधिनियम में प्रावधान है कि सरकार वयस्क शिक्षा और सतत शिक्षा कार्यक्रमों में दिव्यांगजनों की भागीदारी के लिए प्रोत्साहन देने, संरक्षण देने और अन्य के समान भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए उपाय करेगी।
- ङ. अधिनियम में सरकार को दिव्यांगजनों को रोजगार के लिए सुविधा और सहायता, विशेष रूप से उनके व्यावसायिक प्रशिक्षण और स्व-रोजगार के लिए रियायती दरों पर ऋणों के प्रावधान सहित योजनाएं और कार्यक्रम बनाने का प्रावधान है।
- च. आरक्षण: बेंचमार्क दिव्यांगता वाले कुछ व्यक्तियों के लिए सरकारी और सरकार से सहायता प्राप्त उच्चतर शिक्षा संस्थानों में 5 प्रतिशत सीटें आरक्षित करना। बेंचमार्क दिव्यांगता वाले व्यक्तियों या व्यक्तियों के वर्ग के लिए सरकारी नौकरियों में 4 प्रतिशत आरक्षण।
- छ. निर्धारित समय-सीमा के भीतर सार्वजनिक भवनों (सरकारी और गैर-सरकारी, दोनों) में सुगम्यता सुनिश्चित करने पर बल दिया गया है।
- ज. अधिनियम में जिला कार्यालय या राज्य सरकार द्वारा नामित किसी अधिकारी द्वारा संरक्षण प्रदान किए जाने का प्रावधान है, जिसके तहत संरक्षक और दिव्यांगजनों के बीच संयुक्त निर्णय लिया जाएगा। नीति निर्माता निकायों के रूप में दिव्यांगता पर व्यापक केन्द्रीय और राज्य सलाहकार बोर्ड स्थापित किए जाएंगे।
- झ. अधिनियम में मुख्य दिव्यांगजन आयुक्त कार्यालय और राज्य दिव्यांगजन आयुक्त कार्यालयों को मजबूती प्रदान करने का प्रावधान है, जो नियामक निकायों और शिकायत निवारण एजेंसियों के रूप में कार्य करेंगे तथा अधिनियम के कार्यान्वयन की निगरानी भी रखेंगे। इन कार्यालयों को विभिन्न दिव्यांगताओं में विशेषज्ञों की एक सलाहकार समिति द्वारा सहायता प्रदान की जाएगी।
- ञ. दिव्यांगजनों को वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए राष्ट्रीय और राज्य कोष बनाना।
- ट. अधिनियम में दिव्यांगजनों के खिलाफ किए गए अपराधों के लिए दंड का भी प्रावधान है।
- ठ. दिव्यांगजनों के अधिकारों के उल्लंघन से संबंधित मामलों का निपटारा करने के लिए विशेष न्यायालय बनाए जाएंगे।

1.3.5 नियम

1. दिव्यांगजनों के अधिकार नियम, 2016

[https://www.indiacode.nic.in/bitstream/123456789/15939/1/the_rights_of_persons_wit
h_disabilities_act%2C_2016.pdf](https://www.indiacode.nic.in/bitstream/123456789/15939/1/the_rights_of_persons_with_disabilities_act%2C_2016.pdf)

2. दिव्यांगजनों के अधिकार नियम, 2017; ये नियम दिनांक 15.06.2017 को अधिसूचित किए गए थे।
https://upload.indiacode.nic.in/showfile?actid=AC_CEN_25_54_00002_201649_1517807328299&type=rule&filename=Rules_notified_15.06.pdf
3. दिव्यांगजनों के अधिकार (संशोधन) नियम, 2000
4. दिव्यांगजनों के अधिकार (संशोधन) नियम, 2023
([https://disabilityaffairs.gov.in/upload/uploadfiles/files/RPwD%20\(Amendment\)%20Rules%2C%202023%20-%20Accessibility%20standards%20on%20ICT%20products%20and%20Services_compressed.pdf](https://disabilityaffairs.gov.in/upload/uploadfiles/files/RPwD%20(Amendment)%20Rules%2C%202023%20-%20Accessibility%20standards%20on%20ICT%20products%20and%20Services_compressed.pdf))

1.3.6 दिशानिर्देश

1. विभिन्न निर्दिष्ट दिव्यांगताओं के मूल्यांकन के लिए दिशानिर्देशों पर अधिसूचना
(https://upload.indiacode.nic.in/showfile?actid=AC_CEN_25_54_00002_201649_1517807328299&type=notification&filename=Guidelines%20notification_04.01.2018.pdf)
2. ऑटिज्म के मूल्यांकन और मूल्यांकन के लिए दिशानिर्देश और प्रमाणीकरण के लिए प्रक्रियाएं
(<https://disabilityaffairs.gov.in/upload/uploadfiles/files/25%20April%202016%20-%20Autism%20Notification.pdf>)
3. विशिष्ट शिक्षण की दिव्यांगता के संबंध में दिव्यांगता के लिए मूल्यांकन दिशानिर्देश दिनांक 09.12.2020 को संशोधित किया गया है।
(https://upload.indiacode.nic.in/showfile?actid=AC_CEN_25_54_00002_201649_1517807328299&type=notification&filename=amendment_guidelines_09.09.2020.pdf)
4. बेंचमार्क दिव्यांगजनों के लिए लिखित परीक्षा के आयोजन के लिए दिशानिर्देश 29.08.2019 को जारी किए गए।
(https://www.nta.ac.in/Download/Notice/Guidelines_29_08_2018.pdf)
5. बेंचमार्क दिव्यांगजनों के लिए लिखित परीक्षा के आयोजन के लिए दिशानिर्देशों का शुद्धि पत्र दिनांक 08.02.2019 को जारी किया गया।
(<https://disabilityaffairs.gov.in/upload/uploadfiles/files/Corrigendum-08-02-19.pdf>)
6. आरपीडब्ल्यूडी अधिनियम, 2016 की धारा 2(न) की परिभाषा के तहत शामिल 40 प्रतिशत से कम दिव्यांगता और लिखने में कठिनाई वाले विशिष्ट दिव्यांगजनों के लिए लिखित परीक्षा के आयोजन के लिए दिशानिर्देश
(<https://disabilityaffairs.gov.in/upload/uploadfiles/files/Vikash%20Kumar%20Guidelines%2010-8-22.pdf>)

1.4 दिव्यांगजन क्षेत्र के लिए व्यावसायिक शिक्षा, प्रशिक्षण और कौशल का महत्व

दिव्यांगजन प्रायः नियमित आधार पर चुनौतियों का सामना करते हैं, जिससे उन्हें अपनी पूर्ण क्षमता को हासिल करना मुश्किल हो जाता है। व्यावसायिक शिक्षा और प्रशिक्षण प्रशिक्षणार्थियों को शिक्षा का उपयोग करने और आत्मविश्वास हासिल करने के लिए एक मंच प्रदान कराएगा। प्रशिक्षणार्थियों की व्यक्तिगत उन्नति और विकास के लिए उचित शिक्षा की प्राप्ति करना महत्वपूर्ण है।

दिव्यांगजनों के लिए रोजगार उनके पुनर्वास और सशक्तिकरण की दिशा में एक महत्वपूर्ण उपाय माना जाता है, क्योंकि यह उन्हें अपनेपन व स्वतंत्रता की भावना प्रदान करता है और सामाजिक समावेशन तथा समग्र कल्याण की संभावनाओं को बढ़ाता है। इस तरह से व्यावसायिक शिक्षा एक महत्वपूर्ण भूमिका निर्वहन कर सकती है। सामान्यतः दिव्यांगजन अधिकांश कार्यों को कर सकते हैं और एक सक्षम वातावरण तथा सहायक सेवाओं के साथ अधिकांश दिव्यांगजन बिना दिव्यांगता वाले व्यक्तियों की तरह उत्पादक हो सकते हैं।

वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार, करीब 45 प्रतिशत दिव्यांगजन निरक्षर हैं। दिव्यांगजनों को सामाजिक शिक्षा के जरिए सामान्य शिक्षा प्रणाली में मुख्य धारा में शामिल किए जाने की जरूरत है। संविधान के अनुच्छेद 21क के तहत शिक्षा को मौलिक अधिकार के रूप में निश्चित किया गया है और दिव्यांगजन अधिनियम 1995 की धारा 26 के तहत कम से कम 18 वर्ष की उम्र तक सभी दिव्यांगजनों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा उपलब्ध कराने की व्यवस्था है।

व्यावसायिक शिक्षा और प्रशिक्षण के साथ शिक्षा सामाजिक और आर्थिक सशक्तिकरण का सबसे प्रभावकारी माध्यम है। सर्व शिक्षा अभियान (एसएसए) के तहत 15-18 वर्ष तक की आयु के दिव्यांग बच्चों को समेकित दिव्यांग शिक्षा (आईडीसी) योजना के तहत निःशुल्क शिक्षा उपलब्ध कराई जाती है। राज्य सरकारों, स्वायत्त निकायों और स्वैच्छिक संगठनों के माध्यम से कार्यान्वित की जाने वाली आईडीसी योजना विभिन्न सुविधाओं जैसे, विशेष शिक्षक, पुस्तकें और लेखन सामग्री, पोशाक, परिवहन, दृष्टि बाधित व्यक्तियों के लिए पठन भत्ता, छात्रावास भत्ता, उपकरण लागत, वास्तुकीय बाधाओं को हटाने/ संशोधित करने, शिक्षण सामग्री की खरीद करने/ उत्पादक के लिए वित्तीय सहायता, सामान्य शिक्षकों के प्रशिक्षण और संशाधन कक्ष के लिए उपकरणों हेतु शत-प्रतिशत वित्तीय सहायता का प्रावधान है।

दिव्यांगजनों के कौशल विकास के लिए राष्ट्रीय कार्य योजना (एनएपी-एसडीपी) को सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय, भारत सरकार के दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग द्वारा कार्यान्वित किया जाता है। इस योजना का उद्देश्य दिव्यांगजनों के लिए एनसीवीईटी से प्रमाणित और एनएसक्यूएफ संरेखित व्यावसायिक पाठ्यक्रमों में कौशल प्रशिक्षण प्रदान करना है। इसका प्राथमिक उद्देश्य गुणवत्तापूर्ण व्यावसायिक प्रशिक्षण के जरिए दिव्यांगजनों के कौशल को बढ़ाना है ताकि दिव्यांगजनों को लाभकारी रोजगार (स्व/ मजदूरी आधारित) मिल सके। पाठ्यक्रमों में नामित दिव्यांगजनों को सहायक उपकरण, परिवहन लागत और प्लेसमेंट के बाद सहायता के लिए वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। साथ ही, निर्बाध क्रियान्वयन और सुरक्षित रोजगार अवसर सुनिश्चित करने के लिए दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग ने एक डिजिटल पोर्टल - पीएम-दक्ष डीईपीडब्ल्यूडी पोर्टल (www.pmdaksh.depwd.gov.in) विकसित किया है। पीएम दक्ष डीईपीडब्ल्यूडी डिजिटल पोर्टल के तहत दिव्यांगजन रोजगार सेतु को रोजगार एकत्रण प्लेटफॉर्म के रूप में तैयार किया गया है। इस प्लेटफॉर्म का उद्देश्य

समूचे भारत में रोजगार अवसरों को एकत्र करना और दिव्यांगजनों को प्राइवेट कंपनियों में रिक्तियों के बारे में विस्तृत जियोटैग आधारित सूचना प्रदान करना है। दिव्यांगजन अपने यूडीआईडी संख्या/ यूडीआईडी नामांकन के जरिए पीएम दक्ष डीईपीडब्ल्यूडी पर स्वयं को पंजीकृत करा सकता है। भारत के दिव्यांगजनों को रोजगार अवसर उपलब्ध कराने के उद्देश्य से विभिन्न जॉब एग्रीगेटरों के साथ-साथ दिव्यांगजन नियोक्ताओं को भी पीएम- दक्ष- डीईपीडब्ल्यूडी रोजगार सेतु पर शामिल किया गया है।

2. दिव्यांगजन दिशानिर्देशों की आवश्यकता, दायरा और उद्देश्य

2.1 आवश्यकता - हमें इन दिशानिर्देशों की आवश्यकता क्यों है

“दिव्यांगजनों के लिए सुगम्य मानकों” से संबंधित दिशानिर्देशों का उद्देश्य व्यावसायिक शिक्षा और प्रशिक्षण के संबंध में दिव्यांगजनों की आवश्यकताओं पर व्यापक ध्यान देना है। इन दिशानिर्देशों के माध्यम से दिव्यांगजनों के लिए समावेशिता लाने और दिव्यांगजनों के लिए व्यावसायिक शिक्षा के प्रावधानों को लागू करने में मानकीकृत मानदंडों में मौजूदा अंतराल पर ध्यान दिया जा रहा है।

2.2 दायरा

इन दिशानिर्देशों का उद्देश्य वीडटी पारिस्थितिकी तंत्र में प्रत्येक प्रशिक्षणार्थी के द्वार तक संभावित अवसरों को लाना है, चाहे उसके विकास के अन्य क्षेत्रों में उसकी दिव्यांगता की सीमाएं अथवा सामर्थ्य कुछ भी हो। इसके लिए वीडटी पारिस्थितिकी तंत्र में विभिन्न हितधारकों जैसे अवार्डिंग निकायों, मूल्यांकन एजेंसियों, प्रशिक्षण केन्द्रों आदि की भूमिकाएं और जिम्मेदारियाँ स्पष्ट रूप से बताई गई हैं। ये दिशानिर्देश दिव्यांगों के लिए एबी, एए, टीसी आदि द्वारा प्रदान किए जाने वाले न्यूनतम दिव्यांगजन सुगम्य मानकों को भी स्पष्ट करेंगे ताकि एक ऐसी संरचना तैयार करने पर ध्यान केन्द्रित किया जा सके, जिसमें किसी भी दिव्यांगता की प्रतिकूल स्थिति को दूर करने की क्षमता हो और साथ ही प्रशिक्षणार्थी को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्राप्त करने में मदद मिल सके।

2.3 उद्देश्य

दिशानिर्देशों का लक्ष्य निम्नलिखित उद्देश्यों को प्राप्त करना है :-

- क. प्रशिक्षण प्रदान करने और संगत पहलुओं में वीडटी में हितधारकों द्वारा पालन किए जाने वाले न्यूनतम मानकों का निर्धारण करना।
- ख. संबंधित हितधारकों द्वारा प्राप्त किए जाने वाले मानकों के संबंध में दिव्यांग शिक्षार्थियों के बीच जागरूकता उत्पन्न करना।
- ग. दिव्यांगजनों को उनकी विशिष्ट आवश्यकताओं की प्रकृति के अनुसार सामग्रियाँ, विधियाँ, तकनीक, सहायता और उपकरण, सहायक उपकरण आदि जैसे सुगम्य मापदंडों का उपयोग करके शिक्षण के अनुभव और प्रशिक्षण प्राप्त करने में मदद करना।
- घ. यह सुनिश्चित करना कि दिव्यांगजनों के लिए अधिक उत्पादकता और रोजगारपरकता प्राप्त हो।

3. व्यावसायिक शिक्षा, प्रशिक्षण और कौशल (वीईटीएस) में दिव्यांगजनों के लिए सुगम्यता

सुगम्यता किसी व्यक्ति को किसी उत्पाद, सेवा या सुविधा तक पहुंच प्रदान करने के संबंध में है। इसका तात्पर्य यह है कि क्या सभी उपयोगकर्ता किसी उत्पाद, सेवा या सुविधा के मिलने पर समान उपयोगकर्ता अनुभव को प्राप्त करने में सक्षम हैं। जब हम दिव्यांगजनों पर विचार करते हैं, तो सुगम्यता का महत्व बढ़ जाता है, क्योंकि यह उसके सशक्तिकरण और समावेशन का प्राथमिक साधन है। इस खंड में दिव्यांगों को सुगम्य वातावरण प्रदान करने पर विचार किए जाने वाले विभिन्न मानदंडों/ मापदंडों पर विस्तार से प्रकाश डाला गया है।

3.1 विशेष अवसंरचना

यह सुनिश्चित करना महत्वपूर्ण है कि दिव्यांग प्रशिक्षणार्थियों के लिए प्रशिक्षण सुविधाएं सुलभ हों ताकि व्यावसायिक शिक्षा/ प्रशिक्षण में उनकी भागीदारी सुनिश्चित हो सके। दुर्गम प्रशिक्षण सुविधाएं दिव्यांगों के लिए बाधाएं उत्पन्न कर सकती हैं, सूचना और संसाधनों तक पहुंचने, पारस्परिक गतिविधियों में शामिल होने और मित्र जनों तथा प्रशिक्षकों के साथ बातचीत करने की उनकी क्षमता को सीमित कर सकती है। इसका उनके शिक्षण के अनुभव पर एक महत्वपूर्ण प्रभाव हो सकता है और इसके फलस्वरूप वे प्रशिक्षण कार्यक्रम से अलग या बाहर किए हुए महसूस कर सकते हैं।



दिव्यांगजनों के लिए अवसंरचना उपलब्ध कराना, जैसे व्हीलचेयर रैंप, एलवेटर, सुलभ शौचालय, सहायक प्रौद्योगिकी और बुनियादी अक्षमता और संगत मामलों के संबंध में अभिमुखी और प्रशिक्षित कर्मचारी, बाधाओं को दूर करने और समावेशी शिक्षण के वातावरण को बढ़ावा देने में सहायता कर सकते हैं। सुगम्य प्रशिक्षण सुविधाएं तैयार करके हम यह सुनिश्चित कर सकते हैं कि सभी प्रतिभागियों को उनकी क्षमताओं पर ध्यान दिए बिना शिक्षण और बढ़ने के लिए समान अवसर मिले।



समावेशी अवसंरचना बनाना यह सुनिश्चित करने के लिए महत्वपूर्ण है कि दिव्यांगजन समाज में पूरी तरह से भाग ले सकें। इसमें यह सुनिश्चित करना शामिल है कि सार्वजनिक स्थान, भवन और परिवहन दिव्यांगजनों के लिए सुलभ और सुविधाजनक हो। अवसंरचना परियोजनाओं की योजना बनाते समय, बाद में समाधानों को पुनः तैयार करने की कोशिश करने की बजाय शुरुआत से ही दिव्यांगजनों की आवश्यकताओं पर विचार करना महत्वपूर्ण है। इस तालिका में हम अवसंरचना के मापदंडों के उदाहरण प्रदान करते हैं, जो दिव्यांगजनों के लिए अधिक समावेशी वातावरण तैयार करने में सहायता कर सकते हैं। इन मापदंडों को लागू करके, हम सभी के लिए अधिक न्यायसंगत और सुगम्य दुनिया बना सकते हैं।






यह एक परिवेश का डिजाइन और संरचना है ताकि इसे सभी व्यक्तियों द्वारा उनकी आयु, आकार, क्षमता या दिव्यांगता पर ध्यान दिए बिना अधिकतम संभव सीमा तक पहुंचा, समझा और उपयोग किया जा सके। यह केवल अल्पसंख्यक आबादी के लाभ के लिए एक विशेष आवश्यकता नहीं है। यह अच्छे डिजाइन की एक बुनियादी शर्त है। यदि कोई परिवेश सुलभ, प्रयोग करते समय योग्य, सुविधाजनक और उपयोग करने योग्य, सुविधाजनक और उपयोग करने में आरामदायक हो, तो सभी उससे लाभान्वित होते हैं। डिजाइन प्रक्रिया के दौरान सभी की विविध आवश्यकताओं और क्षमताओं पर विचार करके, सार्वभौमिक डिजाइन ऐसे उत्पादों, सेवाओं और वातावरण का निर्माण करते हैं, जो लोगों की आवश्यकताओं को पूरा करते हैं। इसे सार्वभौमिक डिजाइन का सिद्धांत कहा जाता है।





3.1.1 तालिका - अवसंरचना मापदंड

ऐसे अवसंरचना मापदंडों की सूची, जिसके प्रशिक्षण केन्द्र और मूल्यांकन केन्द्र में मौजूद होने की आवश्यकता है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि दिव्यांग प्रशिक्षणार्थी को सुगमता की कोई समस्या न हो। अवसंरचना के विभिन्न आयामों के लिए आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा 'भारत में सार्वजनिक पहुंच के लिए सामंजस्यपूर्ण दिशानिर्देश और मानक (2021)' देखें। उल्लिखित दिशानिर्देशों को आरपीडब्ल्यूडी (संशोधन) नियम, 2023 में अधिसूचित किया गया है। दिव्यांगजनों के प्रशिक्षण केन्द्रों को सुगम्य बनाने के लिए निम्नलिखित अवसंरचना की आवश्यकताओं का पालन किया जाना है। ऐसे मामलों में, जहाँ पहले से निर्मित अवसंरचना में नीचे उल्लिखित सुविधाओं को शामिल करना संभव नहीं है, पोर्टेबल डिवाइस का उपयोग किया जा सकता है। आवश्यक सुगम्यता सुविधाएं प्रकृति में उदाहरणात्मक हैं और उन्हें प्रशिक्षित किए जाने वाले दिव्यांगता के प्रकार के आधार पर केन्द्र में उपलब्ध कराया जाना चाहिए।

क्र.सं.	अवसंरचना मापदंड	अवसंरचना आवश्यकताएं	अवसंरचना का चित्रण
1	रैम्प के साथ निकास/ प्रवेश द्वार	<p>क. व्हीलचेयर उपयोगकर्ता को ध्यान में रखते हुए, बिना सीढ़ी के आसानी से खुलने वाला प्रवेश द्वार होना चाहिए।</p> <p>ख. दरवाजे के लॉक की ऊंचाई व्हीलचेयर उपयोगकर्ता की पहुंच के भीतर होनी चाहिए।</p> <p>ग. रैम्प पर ढलान इतना आसान होना चाहिए, कि व्हीलचेयर उपयोगकर्ताओं के लिए प्रवेश/ निकास में आसानी हो।</p> <p>घ. रैम्प को फिसलन रहित सामग्री से बनाया जाना चाहिए, जिसमें दोनों तरफ रेलिंग लगे हो।</p>	
2	खिड़कियाँ	<p>क. खिड़की पर हैंडल/ कंट्रोल इतनी ऊंचाई पर होने चाहिए, जिनका व्हीलचेयर से उपयोग किया जा सके।</p> <p>ख. व्हीलचेयर उपयोगकर्ताओं के लिए खिड़की से बाधा रहित दृश्य क्षेत्र होना चाहिए।</p>	
3	लिफ्ट	<p>क. जहाँ तक संभव हो सके, निम्नलिखित मानकों के अनुसार कम से कम एक लिफ्ट का प्रावधान किया जाए:</p> <p>ख. नियंत्रण पैनल के साथ फर्श स्तर से ऊपर व्हीलचेयर पर बैठे व्यक्ति के लिए</p>	

		<p>उपयुक्त हैंडरेल लगाई जाए।</p> <p>ग. लिफ्ट में दृष्टि बाधित व्यक्तियों के लिए तलों की ऑडियो घोषणा की जाए।</p> <p>घ. लिफ्ट के बटनों को दृष्टि बाधित व्यक्तियों के लिए ब्रेल लिपि में उपलब्ध कराया जाए।</p> <p>ङ. लिफ्ट में रियर मिरर, ग्रेब बार और अलार्म उपलब्ध कराए जाएं।</p>	
4	शौचालय/ रेस्टरूम	<p>क. दिव्यांगजनों के उपयोग के लिए शौचालय सेट में एक विशेष व्हीलचेयर उपलब्ध कराई जाए, साथ ही चलने-फिरने में अक्षम जनों के लिए प्रवेश द्वार के पास वाश बेसिन की अनिवार्य व्यवस्था की जाए।</p> <p>ख. शौचालय में प्रवेश/ निकास के लिए व्हीलचेयर के लिए दरवाजा आसानी से खुले और दरवाजा बाहर की ओर खुलने वाला अथवा स्लाइड वाला हो।</p> <p>ग. दरवाजा इतना हल्का होना चाहिए कि बिना अधिक शारीरिक प्रयास किए आसानी से घूम सके।</p> <p>घ. शौचालय का समग्र फर्श क्षेत्र (लम्बाई और चौड़ाई) इतना होना चाहिए कि व्हीलचेयर उपयोगकर्ताओं के आरामदायक उपयोग के लिए वाशरूम के अंदर व्हीलचेयर आसानी से घूम सके।</p> <p>ङ. व्हीलचेयर उपयोग के लिए शौचालय में दीवार से निकासी के साथ वर्टिकल/ हॉरिजोन्टल हैंडरेल की उचित व्यवस्था हो।</p> <p>च. दिव्यांगजनों के लिए शौचालय के दरवाजे पर दिव्यांगता के चिह्न के साथ उचित साइनेज होना चाहिए।</p> <p>छ. महिलाओं और मल्टीमल सिरोसिस से पीड़ित व्यक्तियों के लिए पैड/ डायपर वेंडिंग मशीन उपलब्ध होनी चाहिए। यदि नहीं तो मल्टीमल सिरोसिस वाले व्यक्तियों के लिए डायपर/ पैड रखने के लिए उचित ऊंचाई पर एक केबिनेट</p>	

		<p>लगाया जा सकता है।</p> <p>ज. फर्श फिसलन रहित होना चाहिए।</p>	
5	पेयजल सुविधा	<p>क. दिव्यांगजनों के लिए सुगम्य अधिमानतः उनके लिए प्रदान किए गए विशेष शौचालय के समीप पेयजल सुविधा का उचित प्रावधान किया जाए।</p> <p>ख. पेयजल सुविधा व्हीलचेयर उपयोगकर्ताओं के लिए उपयुक्त ऊंचाई पर होनी चाहिए।</p>	<p>पेयजल फव्वारा</p>  
6	संकेत चिह्न	<p>क. आंशिक रूप से दृष्टिबाधित व्यक्ति को खतरनाक क्षेत्रों के लिए पैदल मार्कों के साथ विपरीत बनावट (टैक्सचर) की आवश्यकता होती है।</p> <p>ख. संकेत चिह्न सभी के लिए उपयोगी होने चाहिए, जो आंखों के स्तर से आसानी से देखे जा सकें, उंगलियों को हिलाने से पढ़े जा सकें और रात्रि के समय पहचान के लिए आवश्यकता के अनुसार अच्छी तरह से प्रकाशयुक्त हो।</p> <p>ग. संकेत सुलभ सुविधा की दिशा और नाम को इंगित करेंगे और उसमें सुलभ प्रतीक को शामिल किया जाएगा।</p> <p>घ. संकेत चिह्न विपरीत रंगों में होने चाहिए और उभरे हुए (ब्रेल लिपि) होने चाहिए ताकि दृष्टि बाधित प्रशिक्षणार्थी उन्हें छूकर उनमें निहित सूचना को प्राप्त कर सकें।</p> <p>ड. सरल प्रतीकों और विपरीत रंगों का उपयोग किया जाए, जिन्हें सार्वभौमिक रूप से पहचाना जाता हो, जैसे कि सुरक्षा या जाने के लिए हरा, जोखिम या सावधानी के लिए पीला या अम्बर और खतरे के लिए लाल।</p>	  

7	मार्गदर्शक/चेतावनी वाली फर्श सामग्री	<p>क. दृष्टि बाधित व्यक्तियों के लिए रंग परिवर्तन अथवा स्पष्ट रूप से भिन्न बनावट वाली सामग्री और शेष फर्श सामग्री से आसानी से पहचानी जा सकने वाली सामग्री के संबंध में मार्गदर्शन या चेतावनी देने के लिए फर्श सामग्री को मार्गदर्शक या चेतावनी फर्श सामग्री कहा जाता है।</p> <p>ख. मार्गदर्शक/ चेतावनी फर्श सामग्री का उद्देश्य महत्वपूर्ण स्थानों पर किसी व्यक्ति को दिशा संबंधी प्रभाव देना अथवा चेतावनी देना है, जैसे-</p> <ol style="list-style-type: none"> भवन और पार्किंग क्षेत्र तक पहुंच का पथ पर सूचना बोर्ड, स्वागत कक्ष, लिफ्ट/सीढ़ियाँ और शौचालय की ओर जाने वाली लॉबी (लेडिंग लॉबी) पर पैदल मार्ग के आरंभ/समाप्ति पर, जहाँ पर वाहनों का आगमन होता है। अचानक स्तर में परिवर्तन होने वाले स्थान या रैम्प के आरंभ/अंत में प्रवेश/निकास और लैंडिंग के ठीक सामने। 	
8	सुगम्य मार्ग/पथ	मार्ग में फिसलनरोधी सतह, स्पर्शनीय पथ, साइनेज, अच्छी तरह से प्रकाशमान और बिना किसी बाधा का मार्ग होना चाहिए, केन्द्र का स्थान सार्वजनिक परिवहन के निकट होना चाहिए।	
9	पार्किंग	आरक्षित पार्किंग सुगम्य पथ से जुड़ी होनी चाहिए और जमीन पर साइनेज होने चाहिए। सुगम्य कार पार्किंग उपलब्ध होनी चाहिए।	
10	स्वागत कक्ष/डेस्क	सूचना सुगम फॉर्मेट में उपलब्ध होनी चाहिए जैसे ब्रेल, टेक्टाइल मानचित्र आदि।	

11	सीढ़ियाँ	कम दृष्टि और दृष्टि बाधित उपयोगकर्ताओं के लिए सीढ़ियों में विपरीत रंग की पट्टियाँ (स्ट्रिप) दोगुनी ऊँचाई की रेलिंग, चेतावनी टाइलें और सीढ़ियों के अंत में व शुरू में स्पर्शनीय फर्श होना चाहिए।	
12	पोर्टेबल रैम्प	रिट्रेक्टेबल लाइटवेट पोर्टेबल व्हीलचेयर रैम्प को भवनों, वाहनों और विभिन्न बाहरी वातावरणों तक सुविधाजनक पहुंच प्रदान करने के लिए डिजाइन किया गया है। ऐसे रैम्प उन भवनों में स्थापित किए जा सकते हैं, जहाँ स्थायी संशोधन संभव नहीं है या स्थायी रैम्प उपलब्ध नहीं है।	 

3.2 प्रशिक्षण के लिए उपकरण और उपस्कर

आज की दुनिया में प्रौद्योगिकी ने दिव्यांगजनों के जीवन पर महत्वपूर्ण प्रभाव डाला है। सहायक उपकरण और प्रौद्योगिकी ने दिव्यांगजनों को शिक्षा, रोजगार और सामाजिक अवसरों तक पहुंचने में सक्षम बनाया है, जो पहले उपलब्ध नहीं थे। दिव्यांगजनों के लिए, स्वतंत्रता प्राप्त करने, समाज में भाग लेने और अपने लक्ष्यों को हासिल करने के लिए कौशल विकास महत्वपूर्ण है। सौभाग्य वश, कई सहायक तकनीकें उपलब्ध हैं, जो दिव्यांगजनों को नए कौशल प्राप्त करने और उनकी क्षमताओं को बेहतर बनाने में मदद कर सकती हैं।







सहायक उपकरणों का प्रावधान जॉब भूमिका की प्रकृति के साथ-साथ कर्मचारी की व्यक्तिगत आवश्यकताओं पर निर्भर करता है। सहायक उपकरणों का चयन अनुशंसित उपकरणों/ उपस्करों की सूची के अनुसार प्रशिक्षक और प्रशिक्षणार्थी के परामर्श से किया जाना चाहिए। प्रशिक्षक को सहायक उपकरण प्रदान करने के अलावा, दिव्यांगजनों/प्रशिक्षणार्थियों द्वारा उपयोग किए जाने वाले उपकरणों और मशीनरी में संशोधन/परिवर्तन भी करने पड़ सकते हैं। अभ्यर्थियों को सरकारी, निजी और नागरिक समाज संगठनों द्वारा विकसित उपकरणों तथा प्रौद्योगिकियों के संबंध में जानकारी प्रदान की जानी चाहिए ताकि वे उनका प्रयोग कर सकें।








4






3.2.1 प्रशिक्षण मानदंड: दिव्यांगजनों की सहायता से शिक्षण के लिए उपकरण और उपस्कर (उपलब्ध कराए गए चित्र केवल संदर्भ के लिए हैं, वास्तविक उपकरण भिन्न दिखाई दे सकता है)



उल्लिखित **प्रशिक्षण उपकरण** सुलभ उपकरण/यंत्र/सॉफ्टवेयर हैं, जो दिव्यांगजन को अपना प्रशिक्षण पूरा करने में सक्षम बनाते हैं। ये सुझाए गए प्रशिक्षण उपकरण दिव्यांगजन की शिक्षण की प्रक्रिया को सुविधाजनक बनाते हैं ताकि वे अनुकूल और सक्षम वातावरण में मित्रों के समान प्रदर्शन कर सकें। इन उपकरणों का उपयोग आवश्यकता के अनुसार संयोजन या अलगाव में किया जा सकता है। नीचे दिए गए प्रशिक्षण उपकरणों की सूची सांकेतिक है, न

कि संपूर्ण है। दिव्यांग प्रशिक्षणार्थियों को एबी/ईटीपी की व्यवहार्यता के अनुसार और दिव्यांगों की मांग के अनुसार प्रशिक्षणार्थियों की दिव्यांगता की स्थिति के अनुसार ऐसे उपकरण/उपस्कर प्रदान किए जा सकते हैं।

क्र.सं.	उपकरण का नाम	उपयोग	उपकरण चित्रण (संदर्भ के लिए)	दिव्यांग प्रकार के व्यक्तियों के लिए अभिप्रेत
1	ब्रेल शिक्षण की किट	ब्रेल लिपि में शिक्षण की सामग्रियाँ ताकि दृष्टि बाधित अभ्यर्थी भी सामग्री का उपयोग कर सकें।		नेत्रहीनता, दृष्टि बाधितता
2	रिफ्रेशेबल ब्रेल	ब्रेल अक्षरों को, सामान्यतः बधिर-दृष्टिहीन व्यक्तियों के लिए एक सपाट सतह में छेद के माध्यम से उठाए गए गोल टिप वाले पिन के माध्यम से प्रदर्शित किया जाता है।		बधिर-दृष्टिहीन
3	ऑडियो बुक	हैडफोन या स्पीकर के माध्यम से किसी पुस्तक की सामग्री सुनने के लिए है।		दृष्टिहीनता, दृष्टि बाधिता, बौद्धिक अक्षमता दिव्यांगता
4	स्क्रीन रीडर	यह सॉफ्टवेयर कंप्यूटर स्क्रीन पर प्रदर्शित सामग्री को जोर से पढ़ता है।		दृष्टिहीनता, दृष्टि बाधितता
5	स्क्रीन मैग्नीफायर	स्क्रीन के एक विशेष हिस्से को इस टूल से बड़ा किया जा सकता है, जिससे व्यक्ति को पाठ (टेक्स्टर) पढ़ने और इमेज को बेहतर तरीके से देखने में मदद मिलती है।		दृष्टि बाधितता, कम दृष्टि वाले व्यक्ति
6	कैप्शन और सबटाइटलिंग उपकरण	कैप्शन के वीडियो के नीचे टेक्स्टर के रूप में प्रदर्शित करता है।		श्रवण दिव्यांगता, बौद्धिक दिव्यांगता

7	सांकेतिक भाग व्याख्या के साथ शिक्षण के वीडियो	वीडियो का संदेश ऐसे उपयोगकर्ता तक पहुंचाना, जो भाषण को समझने या सुनने में असमर्थ हो		श्रवण दिव्यांगता, बौद्धिक दिव्यांगता
8	स्पीच टू टेक्स्ट	लाइव भाषण को टेक्स्ट में बदलता है ताकि श्रवण दिव्यांगता वाला व्यक्ति भी भाषण को बढ़ सके		श्रवण दिव्यांगता, बौद्धिक दिव्यांगता
9	स्पीच/सिंथेसाइजर स्पीच जनरेशन यंत्र	वाणी और भाषा संबंधी दिव्यांगता वाले व्यक्तियों के लिए टेक्स्ट को भाषण में बदलता है, जिससे कि वे अपनी बात कह सकें		शिक्षण की दिव्यांगता वाणी और भाषा की दिव्यांगता, सेरेब्रल पल्सी, हकलाना
10	अडेप्टिव कीबोर्ड	बड़े लेआउट और अदला बदली योग्य कुंजियों वाले की-बोर्ड, जो चलने में कठिनाई वाले व्यक्ति की मदद करता है		लोकोमोटर दिव्यांगयता
11	एक्सेस स्विच	ऊपरी और निचले अंगों के बिना कोई व्यक्ति इन स्विचों का प्रयोग करके कंप्यूटर संचालन कर सकता है। इन्हें मुंह के जरिए संचालित किया जा सकता है, किसी अंग की सीमित हरकतों से कुंजी दबाकर और कंप्यूटर संचालित करके किया जा सकता है।		लोकोमोटर दिव्यांगयता
12	टेक्स्ट टू स्पीच सॉफ्टवेयर	एक ऐसा सॉफ्टवेयर, जो स्पीच को टेक्स्ट में बदलता है और उसे किसी वर्ड प्रोसेसर से जोड़ सकता है।		लोकोमोटर दिव्यांगयता
13	ट्रैकबाल	माउस को पकड़ने के बजाय, ट्रैकबाल स्थिर रह सकता है लेकिन माउस प्वाइंटर को अपेक्षित स्थान पर ले जाया जा सकता है।		लोकोमोटर दिव्यांगयता

14	माउस वीयर	ऐसा गैजेट, जो दिव्यांग व्यक्ति के सिर हिलाने पर माउस/कर्सर को हिलाता है।		सेंसर और मोटर की सहायता से दिव्यांग जनों की सहायता करता है
15	ऑनस्क्रीन कीबोर्ड	यह कीबोर्ड मॉनिटर पर दिखाई देता है और इसे माउस द्वारा चलाया जा सकता है, फाइन मोटर मूवमेंट चुनौतियों वाले व्यक्ति इसका उपयोग कीबोर्ड संचालित करने के लिए कर सकते हैं।		लोकोमोटर दिव्यांगता
16	नॉइस कैंसलिंग हैडफोन	यह ऑटिज्म स्पेक्ट्रम विकार और अन्य दिव्यांगताओं वाले व्यक्तियों के लिए उपयोगी है, जिससे उनकी ध्यान केन्द्रित करने और ध्यान देने की क्षमता पर प्रभाव पड़ता है।		बौद्धिक दिव्यांगता
17	ऑगमेंटेड और अल्टरनेटिव कम्युनिकेशन (एएसी)	सिस्टम ऑगमेंटेड कम्युनिकेशन में एक दृश्य शिक्षण शैली का प्रयोग किया जाता है, जिससे एएसडी वाले व्यक्तियों को चित्रों, प्रतीकों या रेखाचित्रों के उपयोग से स्वयं को अभिव्यक्त करने में मदद मिलती है।		बौद्धिक दिव्यांगता
18	टच स्क्रीन के साथ डिजिटल सहायता	टच स्क्रीन सहित डिजिटल सहायता एएसडी जैसे बौद्धिक दिव्यांगता वाले व्यक्ति को कंप्यूटर के साथ आसानी से बातचीत करने में मदद मिलती है।		बौद्धिक दिव्यांगता

19	डिजिटल साइन लैंग्वेज इंटरप्रिटेशन सिस्टम	डिटल साइन लैंग्वेज इंटरप्रिटेशन सिस्टम ऐसे व्यक्तियों की सहायता करता है, जो बोलने और सुनने में बाधित हैं और जो अपने कम्युनिकेशन के मुख्य साधन के लिए साइन लैंग्वेज का प्रयोग करते हैं। इससे वेबसाइटों के लिए वेब प्लग इन के माध्यम से एक्सेस मिलती है, दस्तावेजों और सूचनाओं को साइन लैंग्वेज में सुलभ कराने के लिए क्यूआर कोड का प्रयोग किया जाता है और यह सार्वजनिक घोषणाओं या साइन लैंग्वेज समाचार जैसी विशिष्ट आवश्यकताओं के लिए अनुकूल है।		श्रवण दिव्यांगता
20	कैन/सोनार कैन	कैन और स्मार्ट मोबिलिटी सोनार कैन दृष्टि बाधित व्यक्तियों के प्रशिक्षण में आवश्यक उपकरण हैं, जिनसे मोबिटी में वृद्धि, स्थानिक जानकारी और अपने वातावरण को नेविगेट करने में स्वतंत्रता मिलती है।		दृष्टि बाधितता, कम दृष्टि वाले व्यक्ति

प्रशिक्षणार्थियों को प्रदान की जाने वाली सामग्री सुलभ होनी चाहिए। ऑनलाइन डिजिटल सामग्री, वेब सामग्री की सुलभता दिशानिर्देश (डब्ल्यूसीएजी) 2.1 के अनुरूप होनी चाहिए। दिव्यांगों के लिए वीडियो जैसी डिजिटल सामग्री सुलभी होनी चाहिए। उदाहरण के लिए, श्रवण बाधित व्यक्तियों के लिए शिक्षण के सार्वभौमिक डिजाइन फार्मेट में वीडियो या सांकेतिक भाषा (साइन लैंग्वेज) में वीडियो होने चाहिए। सभी पाठ्यक्रम पुस्तकें ईपीयूबी प्रारूप में उपलब्ध होनी चाहिए या जेएडब्ल्यूएस/एनवीडीए सॉफ्टवेयर के माध्यम से सुलभ होनी चाहिए।

उदाहरण के रूप में दिव्यांगता विशिष्ट प्रशिक्षण प्रावधान, जिन पर विचार किया जाना है, नीचे दिए गए हैं:

3.2.2 श्रवण बाधित प्रशिक्षणार्थियों के लिए (पूर्णतया अथवा आंशिक रूप से बधिर)

क. यदि आपके प्रशिक्षणार्थी पढ़ सकते हैं, तो लेखन करें।

ख. यदि परस्पर बातचीत करने के लिए कंप्यूटर टैबलेट उपलब्ध है तो उसका उपयोग करें।

- ग. कौशल प्रशिक्षण और मूल्यांकन के लिए और आईएससी इंटरप्रिटर की मदद से संचार करने के लिए यदि प्रशिक्षणार्थी सांकेतिक भाषा (साइन लैंग्वेज) के माध्यम से संचार पसंद करता है, तो भारतीय सांकेतिक भाषा (साइन लैंग्वेज) का प्रयोग करें।
- घ. यदि आपके पास कोई प्रशिक्षणार्थी है, जो होंठ को पढ़ सकता है, तो यह सुनिश्चित करें कि वह आपके होंठ स्पष्ट रूप से देख सके।
- ङ. आसानी से समझने के लिए चित्रों और रेखाचित्रों को शामिल करें।
- च. भारतीय सांकेतिक भाषा (आईएससी) के साथ क्वेश्चन वाले वीडियो का उपयोग करें।

3.2.3 दृष्टि बाधित प्रशिक्षणार्थियों के लिए (पूर्णतया अथवा आंशिक रूप से दृष्टिहीन)

- क. समय से पहले, विशेष रूप से इलेक्ट्रिक फॉर्मेट (ईपीयूबी) में नोट प्रदान करें यदि प्रशिक्षणार्थी के पास ऐसे फॉर्मेट का उपयोग करने के लिए उपयुक्त उपकरण हैं, जो जेएडब्ल्यूएस/एनएनडीए के माध्यम से सुलभ हों।
- ख. यदि प्रशिक्षणार्थी को जरूरत हो तो उसे व्याकरण (लैक्चर) की रिकॉर्डिंग उपलब्ध कराएं।
- ग. यदि प्रशिक्षणार्थी की दृष्टि कमजोर है, तो बड़े प्रिंट वाले नोट्स का उपयोग करें और उन्हें समय से पहले उपलब्ध कराएं।
- घ. यह बताएं कि विजुअल प्रस्तुतियों जैसे चाक बोर्ड या कंप्यूटर प्रोजेक्शन पर क्या दिखाया जा रहा है।
- ङ. मौखिक रूप से बताएं कि क्या प्रदर्शित किया जा रहा है।
- च. प्रशिक्षणार्थियों को यदि आवश्यक हो, तो लैपटॉप या पीसी आधारित मूल्यांकन उपलब्ध कराएं।
- छ. यदि आवश्यक हो, तो पीडब्ल्यू VI के मूल्यांकन के लिए लेखकों की सुविधा उपलब्ध कराएं।
- ज. प्रशिक्षणार्थियों की मदद के लिए, यदि आवश्यक हो तो वालंटियर की मांग करें।

3.2.4 बौद्धिक दिव्यांगता वाले प्रशिक्षणार्थियों के लिए

- क. निर्देश देते समय सरल भाषा का प्रयोग करें।
- ख. ठोस वस्तुओं, चित्रों या अन्य विजुअल प्रस्तुतियों को विशेष रूप से ऐसी प्रशिक्षणार्थियों के लिए दर्शाएं, जो अशिक्षित हैं अथवा बौद्धिक क्षमता सीमित है। आप ऑगमेंटेडटिव और अल्टरनेटिव कम्युनिकेशन (एएससी) जैसे उपकरणों का प्रयोग कर सकते हैं।
- ग. सभी प्रशिक्षणार्थियों की समझ को जांचें और यह सुनिश्चित करें कि कोई छूट न जाए।
- घ. बौद्धिक दिव्यांगता वाले बच्चों के माता-पिता प्रशिक्षण के लिए साथ में जा सकते हैं और उनकी सहायता कर सकते हैं ताकि शिक्षण के लिए संचार में अनुकूल वातावरण और सुविधा प्रदान की जा सके। इसके अलावा, दिव्यांग बच्चों के माता-पिता को भी प्रशिक्षित किया जा सकता है। यदि वे व्यावसायिक शिक्षा में रुचि लेते हैं ताकि दिव्यांग बच्चों के परिवार को घर पर आधारित स्व-रोजगार के अवसर मिल सके।

3.2.5 शिक्षण की दिव्यांगता वाले प्रशिक्षणार्थियों के लिए

- क. मल्टीपल डिलिवरी पद्धतियों का प्रयोग करें या यदि संभव हो तो बेहतर ढंग से पढ़ कर सीख सकने वाले प्रशिक्षणार्थियों के लिए लिखित रूप में जानकारी प्रदान करें, जिनको इसकी आवश्यकता है, उन्हें मौखिक निर्देश प्रदान करें।

- ख. समय से पहले नोट्स उपलब्ध कराएं।
- ग. यदि आवश्यकता हो, तो लेखक उपलब्ध कराएं।

3.2.6 मल्टीमल स्कलेरोसिस (एमएस) वाले प्रशिक्षणार्थियों के लिए

- क. सरल भाषा का प्रयोग करें।
- ख. सहायक तकनीक का उपयोग करने की संभावना तलाशी जा सकती है।
- ग. मल्टीमल स्कलेरोसिस वाले व्यक्तियों को आराम के लिए ब्रेक दिया जाए ताकि वे थकान दूर कर सकें और लम्बे समय तक प्रशिक्षण जारी रख सकें।
- घ. प्रशिक्षण केन्द्रों/संस्थानों/कक्षाओं में अत्यधिक चमक वाले कार्य/रोशनी नहीं होनी चाहिए और इन्हें प्रशिक्षित करने के लिए उपकरण और विधियाँ तेज आवाज/शोर उत्पन्न करने वाले न हों, क्योंकि एमएस ऑटिज्म और मिर्गी वाले व्यक्ति रोशनी और आवाज के प्रति संवेदनहीन होते हैं।

3.2.7 हीमोफीलिया वाले प्रशिक्षणार्थियों के लिए

- क. बचाव के लिए, हीमोफीलिया वाले व्यक्ति से नुकीली और तेज धार वाली वस्तु को दूर रखें।
- ख. हीमोफीलिया वाले व्यक्ति को, जहाँ तक संभव हो सके, आराम देने के लिए ब्रेक दें ताकि वह इस स्थिति के कारण होने वाली थकान को दूर कर सके।
- ग. यदि आवश्यक हो, तो व्यक्ति को लेखक (स्क्राइब) उपलब्ध कराएं, क्योंकि उन्हें प्रायः कोहनी, हाथ, कंधों आदि में सूजन और दर्द रहता है।

3.3 प्रशिक्षण के लिए शिक्षण पद्धति (पेडागोजी)

कौशल वातावरण में पेडागोजी को प्रशिक्षक की समझ के अनुसार संदर्भित किया जा सकता है कि प्रशिक्षणार्थी कैसे सीखते हैं। पेडागोजी में प्रशिक्षक और प्रशिक्षणार्थियों के बीच बातचीत के लिए मांग की जाती है, जो प्रशिक्षणार्थी के दिमाग पर महत्वपूर्ण प्रभाव डालता है। निर्देश देते समय, प्रशिक्षकों को उचित समायोजन के दृष्टिकोण के बारे में जानकारी होनी चाहिए, जो किसी व्यक्ति की विशिष्ट आवश्यकता के आधार पर उसी प्रणाली को समायोजित करने या उचित बनाने के लिए एक प्रणाली में किया गया समायोजन है। जरूरतें अलग-अलग हो सकती हैं और शैक्षणिक, कार्यगत या किसी अन्य प्रकृति की हो सकती हैं।

दिव्यांगों को प्रदान किए जा रहे विभिन्न कार्यक्रमों के लिए पेडागोजी उपयुक्त प्रथाओं को शामिल करके और विभिन्न प्रकार की दिव्यांगताओं से संबंधित छात्रों की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए संबंधित एक्सपोजिटरी (<https://scpwd.in/training-resource>) के अनुसार होनी चाहिए। सिखाने और प्रशिक्षण के परिणामों की गुणवत्ता में सुधार के लिए, इससे उन्हें यह जानकारी मिलती है कि प्रशिक्षणार्थी अलग-अलग विषयों पर अलग-अलग तरीकों से किस प्रकार सीखते हैं ताकि दिव्यांग प्रशिक्षणार्थियों की आवश्यकताओं के अनुकूल पाठ पढ़ा सकें।

3.3.1 व्याख्यान देने से अधिक, समझाएं

समझाने से तात्पर्य है किसी को कुछ करने का तरीका बताना या जानकारी देना। समझाने में सांकेतिक भाषा, लेखन, प्रदर्शन या मार्गदर्शन, वीडियो प्रस्तुतीकरण का उपयोग करना भी शामिल होगा।

3.3.2 एक समय में एक कौशल पर ध्यान देना

दिव्यांग प्रशिक्षणार्थियों के लिए दैनिक गतिविधियाँ बहुत ही चुनौतीपूर्ण लग सकती हैं, जो इसलिए एक समय में केवल एक ही कौशल पर ध्यान केन्द्रित करना महत्वपूर्ण होगा। उदाहरण के लिए सेरेब्रल पाल्सी से पीड़ित प्रशिक्षणार्थी को कुर्सी पर सीधे बैठने के लिए बहुत सी शारीरिक और मानसिक ऊर्जा का उपयोग करना पड़ सकता है, अतः उनके लिए बैठे-बैठे कुछ और करना कठिन हो सकता है। दिव्यांग प्रशिक्षणार्थी के लिए, इससे ध्यान भंग होने में कमी करने और यह सुनिश्चित करने में भी मदद मिलती है कि आपके प्रशिक्षणार्थी का वातावरण उनके शिक्षण के लिए तैयार हो।

3.3.3 बताकर सिखाना

यह प्रक्रिया प्रशिक्षणार्थियों को यह समझाकर कुछ करना सिखाती है कि क्या करना है अथवा तीन चरणों में कैसे करना है:-

i. मॉडलिंग: दिखाकर सिखाना

प्रशिक्षणार्थी आपको देखकर सीखते हैं कि क्या करना है और कैसे करना है। इसे मॉडलिंग कहते हैं। इसका तात्पर्य यह है कि आप अपने प्रशिक्षणार्थियों को यह दिखा कर कई चीजें सिखा सकते हैं कि उन्हें क्या करना है। उदाहरण के लिए आप अपने प्रशिक्षणार्थियों को खिलौनों को कैसे पैक करना है, कप को कैसे धोना है या पालतू जानवर को कैसे खिलाना है, यह बताने की बजाय उन्हें 'दिखाने' की अधिक संभावना रखते हैं। मॉडलिंग का तात्पर्य है कि आपके प्रशिक्षणार्थी आपके कार्यों और व्यवहार को देख सकते हैं, जब आप उन्हें दिखाते हैं कि क्या करना है। मॉडलिंग का उपयोग निम्नलिखित के लिए किया जा सकता है:-

क. प्रशिक्षणार्थियों को दूसरों के साथ बातचीत करना सिखाना - उदाहरण के लिए, प्रशिक्षक से मदद मांगना या किसी अन्य व्यक्ति से अपना परिचय देना।

ख. ऐसे कौशल सिखाएं, जिन्हें शब्दों में समझाना मुश्किल है, जैसे शरीर की भाषा और आवाज का लहजा।

ग. ऐसे मामलों में, जहाँ प्रशिक्षणार्थियों को आंखों से संपर्क बनाना कठिन लगता है।

ii. दिखाना या प्रदर्शन करना

दिखाने या प्रदर्शन करने का तात्पर्य है कि शारीरिक रूप से ऐसी गतिविधि करना, जिसे आप अपने प्रशिक्षणार्थी को सिखाना चाहते हैं या अनन्यथा उन्हें वीडियो या किसी अन्य तरीके का उपयोग करके सिखाना चाहते हैं। दिखाना या प्रदर्शित करना दृष्टिहीन व्यक्तियों के अलावा, लगभग सभी समूहों के लोगों के लिए शिक्षण का एक अच्छा तरीका है। जो बधिर हैं या जिन्हें बौद्धिक अथवा कतिपय अन्य प्रकार की शिक्षण की अक्षमताएं हैं, उनके लिए दिखाना विशेष रूप से महत्वपूर्ण होता है।

iii. करके सिखाना : मार्गदर्शन करना, खोज करना और अभ्यास करना

प्रशिक्षणार्थियों को व्यावहारिक कार्य करने का अवसर देना या करके सीखना प्रशिक्षण का एक महत्वपूर्ण तरीका है। यह देखने का मूल्यांकन करने या परीक्षण करने का भी एक तरीका है कि प्रशिक्षणार्थी सीख रहा है अथवा नहीं। इसका उपयोग प्रायः उन लोगों को प्रशिक्षित करने के लिए किया जाता है, जिनके पास सीमित साक्षरता कौशल या शिक्षण की क्षमता होती है। करके शिक्षण विशेष रूप से **सुनने और/अथवा**

बोलने में कठिनाई वाले व्यक्तियों के लिए उपयुक्त हैं, क्योंकि यह सुनने या बोलने के बजाय देखने और करने पर निर्भर करता है। शिक्षण के तीन प्रकार हैं: मार्गदर्शन, खोज और अभ्यास।

3.3.4 व्यक्तिगत कौशल/मूल्यांकन योजना

दिव्यांगजनों को प्रायः विशेष ध्यान देने की जरूरत पड़ती है और शिक्षण पद्धति व्यक्तिगत आवश्यकताओं के आधार पर भिन्न होती है। बौद्धिक दिव्यांगता वाले व्यक्तियों के संबंध में ये जरूरतें और भी अधिक बढ़ जाती हैं और इस प्रकार दिव्यांगों के कौशल विकास के दौरान व्यक्तिगत रूप से ध्यान दिया जाना महत्वपूर्ण हो जाता है। तदनुसार, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुरूप, जिसमें दिव्यांग बच्चों सहित विशेष आवश्यकताओं वाले बच्चों के लिए व्यक्तिगत शिक्षा योजना बनाने को बढ़ावा दिया गया है, दिव्यांगजनों के लिए व्यक्तिगत कौशल योजना विकसित करने से दिव्यांगों की अपने कौशल विकसित करने की क्षमता बढ़ती है। इसके परिणामस्वरूप दिव्यांग प्रशिक्षणार्थियों के लिए व्यक्तिगत मूल्यांकन योजनाएं बनाना महत्वपूर्ण हो जाता है, जो आईएसपी पर आधारित होती हैं, जिसके परिणामस्वरूप, दिव्यांग प्रशिक्षणार्थियों के लिए कौशल विकास की प्रगामी यात्रा सफल होती है।

3.3.5 अतिरिक्त अनुदेशन कार्यनीतियाँ

कई अनुदेशन दृष्टिकोणों पर पहले चर्चा की जा चुकी है या जिनका उपयोग किया जाएगा, उन पर निम्नलिखित कार्यनीतियाँ लागू होती हैं:-

- क. **संदर्भ प्रदान करें** : आप अपने प्रशिक्षुओं को, जो सिखाने जा रहे हैं, उसका महत्व और प्रासंगिकता समझाएं। उदाहरण के लिए, आपको पहले सुरक्षा सिद्धान्तों को समझना होगा, ये विद्युत उपकरण (पावर टूल) बहुत खतरनाक हो सकते हैं।
- ख. **अपने दृष्टिकोण में विविधता लाएं** : प्रशिक्षुओं को व्यस्त रखने और विभिन्न शिक्षण शैलियों को समायोजित करने के लिए विभिन्न अनुदेशन दृष्टिकोणों का उपयोग करें। उदाहरण के लिए, थोड़ा व्याख्यान दें, फिर प्रदर्शन करें या वीडियो दिखाएं और फिर प्रश्न पूछें। प्रदर्शन के बाद प्रशिक्षुओं को कार्य में अपना हाथ आजमाने दें।
- ग. **अनुकूल बनाना और क्रमबद्ध करना**: सबसे बुनियादी स्तर पर अनुकूल बनाने से तात्पर्य है कि आप प्रशिक्षुओं को यह बताते हैं कि क्या होने वाला है और उनसे क्या अपेक्षित है। उचित अनुकूलन से सभी को लाभ होता है। एक अन्य स्मार्ट विचार अनुदेशन में शामिल चीजों को क्रमांकित या क्रमगत करना है। ऐसे करके आप जल्दी से शामिल किए जाने वाले विषयों को क्रम और संख्या प्रदान करते हैं।
- घ. **संकेत** : संकेत देना भी इसी तरह का है और संभवतः अनुदेश के प्रति आपके दृष्टिकोण का एक स्वाभाविक हिस्सा है। कोई कार्य या प्रदर्शन शुरू करते समय आप स्वाभाविक रूप से यह कह सकते हैं कि 'शुरू करने के लिए' या जब आप रुकते हैं, तो आप कह सकते हैं 'यह अंतिम चरण है, अब हम रुकेंगे'। जब समय सीमित हो, तो प्रशिक्षुओं को बताएं कि कितना समय बचा है। संकेत उन प्रशिक्षुओं के लिए बहुत ही मददगार होते हैं, जो आसानी से सूचना को देख, सुन या प्रोसेस नहीं कर सकते अथवा जो अन्य से धीमी गति से लिख और काम कर सकते हैं।
- ङ. **मुख्य बिन्दुओं पर बल दें** : कुछ प्रशिक्षणार्थी पढ़ने और लिखने में सक्षम होते हैं, लेकिन उन्हें यह तय करने में कठिनाई होती है कि कौन सी जानकारी महत्वपूर्ण है। ऐसे प्रशिक्षणार्थियों की मदद करने के लिए

आप मुख्य बिन्दुओं को लाल रंग से रेखांकित कर सकते हैं और प्रशिक्षणार्थी को कक्षा से पहले अपने बोलने के नोट्स दे सकते हैं या समझाते समय महत्वपूर्ण जानकारी बता सकते हैं।

च. कार्य और विचारों को अनुक्रमित करें : जब आप कोई कार्य सिखाते हैं तो आप प्रायः उप कार्यों को तार्किक रूप से अनुक्रमित करते हैं। जब आप कोई दृष्टिकोण सिखाते हैं तो आप सरल विचारों से शुरू कर सकते हैं और उन पर काम कर सकते हैं। इस अनुक्रम प्रक्रिया के संबंध में जानकारी होना और यह सुनिश्चित करना कि यह तर्कसंगत है, उन व्यक्तियों को प्रशिक्षित करने के लिए महत्वपूर्ण है, जिन्हें शिक्षण में चुनौती का सामना करना पड़ता है। यह एक विशेष रूप से महत्वपूर्ण प्रशिक्षण दृष्टिकोण है, यदि आप कौशल के एक जटिल, परस्पर संबद्ध सेट को सिखा रहे हैं, जिसमें कई चरण हैं, या यदि अनुक्रम से बाहर कुछ करना किसी तरह से खतरनाक है।

3.4 पाठ्यचर्या

प्रशिक्षणार्थी के पूर्ण विकास के लिए एक सुनियोजित पाठ्यचर्या मुख्य साधन है। यह दिव्यांग प्रशिक्षणार्थी के सामाजिक, शारीरिक, भावनात्मक और बौद्धिक पहलुओं को विकसित करने में मदद करता है। प्रत्येक दिव्यांग प्रशिक्षणार्थी की अलग-अलग क्षमताएं होती हैं और यदि पाठ्यचर्या को उनकी विशिष्ट आवश्यकताओं के अनुसार अनुकूलित किया जाता है तो वह अन्य छात्रों के समान ही सीख सकता है। पाठ्यचर्या का प्रकार और डिजाइन प्रत्येक छात्र को उनकी क्षमताओं के अनुसार व्यक्तिगत रूप से विकसित होने में सक्षम बन सकता है। दिव्यांग व्यक्तियों के लिए पाठ्यचर्या तैयार करने के लिए एक समावेशी और व्यक्तिगत दृष्टिकोण आवश्यक होता है जो उनकी विशिष्ट आवश्यकताओं, क्षमताओं और लक्ष्यों पर विचार करता हो। पाठ्यचर्या तैयार करते समय निम्नलिखित बातों का ध्यान रखा जा सकता है:-

- i. पाठ्यचर्या सुलभ और अनुकूलित हो ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि प्रशिक्षण सामग्री, सहायक सामग्री, सहायक विधियाँ और मूल्यांकन विभिन्न शिक्षण शैलियों और क्षमताओं को समायोजित कर सकें। इसमें छात्रों को अभ्यर्थियों की विभिन्न आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए वैकल्पिक तरीके, सहायक तकनीकें और अनुकूलन प्रदान करना शामिल हो सकता है।
- ii. चूंकि दिव्यांगजनों को औपचारिक शिक्षा का अनुभव ऐसे व्यक्तियों की तुलना में कम होता है, जो दिव्यांग नहीं हैं, अतः भाषा कौशल का स्तर, उदाहरण के लिए अंग्रेजी बोलना और लिखना, बहुत अधिक नहीं होता है। विशेष रूप से श्रवण बाधित व्यक्तियों के संबंध में व्याकरणिक रूप से सही अंग्रेजी भाषा लिखने में प्रशिक्षणार्थियों को बढ़ाने की बड़ी मांग है। इसके अलावा, दिव्यांगजनों को गतिशील रोजगार बाजार के लिए तैयार करने के साथ-साथ उन्हें प्रतिस्पर्धी व्यक्तियों के रूप में विकसित करने के लिए रोजगार कौशल बहुत ही महत्वपूर्ण कौशल बन जाते हैं। अतः दिव्यांगजनों के लिए सभी कौशल प्रशिक्षण पाठ्यक्रमों की शुरुआत में दिव्यांगजनों के भाषा और रोजगार कौशल प्रदान करना महत्वपूर्ण है। अपेक्षित रोजगार कौशल और जीवन कौशल विकसित करने में कार्यात्मक साक्षरता, संख्यात्मकता, संचार व्यक्तिगत स्वच्छता, सामाजिक कौशल, व्यावसायिक कौशल, डिजिटल कौशल और समस्या समाधान कौशल - ब्रिज मॉड्यूल शामिल है। साथ ही, पाठ्यचर्या में दिव्यांगता को समझने, दिव्यांगजनों के अधिकारों, दिव्यांगजनों के समक्ष आने वाली रोजमर्रा की चुनौतियों और समाधानों के बारे में चित्रण से संबंधित घटक शामिल होने चाहिए।

- iii. पाठ्यचर्या में समूह चर्चा, गतिविधियाँ, रोल प्ले आदि जैसे सिखाने और शिक्षण के परस्पर तरीके शामिल होने चाहिए।
- iv. पाठ्यचर्या में अल्प जागरूकता, संबंध निर्माण, सकारात्मक सामाजिक संपर्क को बढ़ावा देने, अपने समीपवर्ती लोगों के साथ समूहों/टीमों में काम करने जैसे घटकों को शामिल करके छात्र के समग्र विकास का समर्थन करना चाहिए।
- v. पाठ्यचर्या में कैरियर नियोजन के घटक भी होने चाहिए, जो प्रशिक्षण के बाद उनके काम को आसान बना सकते हैं।
- vi. प्रशिक्षकों, कौशल प्रशिक्षण से जुड़े अन्य संसाधनों को भी समय-समय पर स्टॉफ विकास कार्यक्रमों से गुजरना चाहिए, ताकि वे वर्तमान विषयों से अद्यतन रहें, जो पाठ्यचर्या को प्रभावी ढंग से योजनाबद्ध करने और निष्पादन करने तथा दिव्यांग अभ्यर्थियों को अपेक्षित सहायता प्रदान करने की उनकी क्षमता को बढ़ाएगा।

4. दिव्यांगजनों के लिए व्यावसायिक शिक्षा, प्रशिक्षण और कौशल का कार्यान्वयन

4.1 एनएसक्यूएफ संरेखण और अनुमोदन

एनएसक्यूएफ एक गुणवत्ता आश्वासन फ्रेमवर्क है, जिसमें जटिलता और योजना के बढ़ते क्रम में आठ स्तरों की एक श्रृंखला में अर्हताओं को व्यवस्थित किया गया है। इन स्तरों को शिक्षण के परिणामों के संदर्भ में परिभाषित किया गया है, जो इस बात का स्पष्ट विवरण है कि एक शिक्षु को शिक्षण के परिणामस्वरूप क्या जानने, समझने और करने में सक्षम होना चाहिए, चाहे ये योग्यताएं औपचारिक, अनौपचारिक या अनौपचारिक शिक्षण के जरिए प्राप्त की गई थी, जिन्हें स्तर विवरणक (लेवल डेस्क्रिप्टर) भी कहा गया है। ये शिक्षार्थियों को अपेक्षित योग्यता स्तर हासिल करने, जॉब बाजार में जाने और उचित समय पर अपनी योग्यताओं को आगे उन्नत बनाने के लिए आवश्यक कौशल प्राप्त करने के लिए जाने में सक्षम बनाते हैं।

एनएसक्यूएफ एक परिणाम आधारित दृष्टिकोण पर आधारित हैं, जिसमें प्रत्येक स्तर को योग्यता स्तरों के संदर्भ में परिभाषित और वर्णित किया गया है, जिसे प्राप्त किया जाना है, जिसमें गतिशीलता (वर्टिकल और हॉरिजोन्टल दोनों) के लिए स्पष्ट प्रावधान किए गए हैं और छात्रों, संस्थानों और नियोक्ताओं के लिए प्रगति पथ निर्धारित किए गए हैं। इसे सक्षम करने के लिए परिभाषित विभिन्न मानदंडों, प्रशिक्षण के न्यूनतम घंटे, प्रस्तावित एनएसक्यूएफ प्रशिक्षण का स्तर और परिभाषित प्रगति मार्ग शामिल हैं।

दिव्यांगों को प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए अर्हताएं भी एनएसक्यूएफ संरेखित और अनुमोदित होनी चाहिए। सामान्यतः, दिव्यांगजन एक क्षैतिज (हॉरिजोन्टल) क्षेत्र है, जिसमें विभिन्न क्षेत्रों से अर्हताएं लागू की जाती हैं। अतः प्रत्येक अर्हता के लिए, अर्हता की मुख्य योग्यता वही रहती है, ताकि दिव्यांगता बाधा न बने। तथापि, इन अर्हताओं के लिए ऐसी दिव्यांगता आवश्यक है, जिनकी वे पूर्ति कर रहे हैं और इसलिए प्रायः निर्धारित योग्यताओं के अनुकूल अतिरिक्त शिक्षण के घटक और अवधियाँ होती हैं।

4.2 दिव्यांगजनों के लिए अर्हताओं के विकास और अंगीकरण की प्रक्रिया

आदर्श रूप से, दिव्यांगजनों के प्रशिक्षण के लिए किसी भी सरकारी वित्तपोषित कौशल आधारित कार्यक्रम को एनएसक्यूएफ संरेखित किया जाना चाहिए और एनसीवीईटी से मान्यता प्राप्त अवार्डिंग निकायों के माध्यम से इसे लागू किया जाना चाहिए। अवार्डिंग निकाय एक ऐसी संख्या है, जो अपने संबंध प्रशिक्षण केन्द्रों में एनएसक्यूएफ संरेखित अर्हता पर प्रशिक्षण देने के लिए अधिकृत की गई है, जिसके लिए उसी अवार्डिंग निकाय (दोहरी मान्यता के मामले में) या किसी अन्य पक्ष एनसीवीईटी मान्यता मूल्यांकन एजेंसियों द्वारा मूल्यांकन किया जाता है।

सफल मूल्यांकन के बाद प्रशिक्षित अभ्यर्थियों को प्रमाणपत्र जारी करने के लिए एबी भी जिम्मेदार है। अवार्डिंग निकाय एनसीवीईटी द्वारा निर्धारित प्रक्रिया का पालन करते हुए या तो अर्हता विकसित कर सकता है या किसी अन्य एबी की अर्हता को अपना सकता है।

4.2.1 दिव्यांगजन अर्हताओं के लिए दृष्टिकोण

- शिक्षार्थियों की आवश्यकताओं और आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए एक नई दिव्यांगजन विशिष्ट अर्हता विकसित की जा सकती है।
- दिव्यांगजनों के लिए अपनाई गई विशिष्ट अर्हता के संबंध में एबी द्वारा यह सुनिश्चित किया जाएगा कि जॉब भूमिका विशिष्ट योग्यता एनओएस को बनाए रखा जाए और विशेष एक्सपोजिटरी (दिव्यांगता) को पूर्ति के लिए एक ब्रिज मॉड्यूल शामिल किया जाए।

मान्यता प्राप्त अवार्डिंग निकायों द्वारा एनएसक्यूएफ अर्हता का विकास करने/ अंगीकरण करने की प्रक्रिया को दर्शाने के लिए एक फ्लोचार्ट नीचे दिया गया है :

एनसीवीईटी मान्यता प्राप्त अवार्डिंग निकाय	एनएसक्यूएफ संरेखण और अनुमोदन के लिए परिभाषित एसओपी के अनुसार एक अर्हता विकसित करता है अथवा पहले से मौजूद एनएसक्यूएफ संरेखित और अनुमोदित अर्हता का अंगीकरण करता है।
अंगीकृत अर्हताओं का अनुकूलन	एक्सपोजिटरी ब्रिज मॉड्यूल को जोड़ना यथा अपेक्षित प्रायोगिक घंटों में वृद्धि करना आईटी अथवा गैर-आईटी आधारित अर्हता के लिए भिन्न है।
एनएसक्यूएफ द्वारा अनुमोदित	विकसित नई अर्हता की वैधता 3 वर्ष की है, जबकि एक अंगीकृत की गई अर्हता डोमेन की अर्हता की वैधता से 1 वर्ष अधिक की है।

4.2.2 दिव्यांगों के लिए कौशल आधारित पाठ्यक्रम कार्यान्वित करने के लिए प्रमुख विचारण

- दिव्यांगों के लिए विशिष्ट अर्हता के लिए, ब्रिज मॉड्यूल के अलावा, यदि आवश्यक हो तो अतिरिक्त व्यावहारिक घंटे शामिल किए जा सकते हैं ताकि विभिन्न प्रकार की दिव्यांगताओं को ध्यान में रखा जा सके जिनमें लोकोमोटर दिव्यांगता को छोड़कर यह सुनिश्चित किया जा सके कि दिव्यांग अभ्यर्थी अपने शुरुआती शैक्षणिक वर्षों के दौरान सामने आई बाधाओं या प्रतिबंधों के कारण शिक्षण की धीमी गति के कारण शिक्षण से चूक न जाएं।

- ख. यदि आवश्यक समझें तो अवार्डिंग निकायों को उस दिव्यांगता के लिए विशिष्ट शिक्षण और प्रशिक्षण प्रदान करने की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए शिक्षण के अतिरिक्त घंटे सुनिश्चित करने की आवश्यकता होती है, जिसके लिए अर्हता अपनाई जा रही है।
- ग. एनसीवीईटी की राष्ट्रीय कौशल अर्हता समिति (एनएसक्यूएफ) की 16वीं और 20वीं बैठकों में लिए गए निर्णय के अनुसार सभी कौशल पाठ्यक्रमों में रोजगार कौशल मॉड्यूल अनिवार्य होगा। तदनुसार, एनसीवीईटी द्वारा समय-समय पर अनुमोदित रोजगार कौशल/जीवन कौशल/सॉफ्ट कौशल पर मॉड्यूल को दिव्यांग अर्हता में भी शामिल किया जाएगा।
- घ. जहाँ भी आवश्यक हो, अंग्रेजी लेखन और संप्रेषण कौशलों पर एक अलग एनओएस शामिल किया जाए।
- ड. श्रवण बाधित बच्चों के लिए ऐसे छात्रों के लिए आईएससी (भारतीय सांकेतिक भाषा) पाठ्यक्रम शामिल किया जा सकता है जिनमें आईएससी कौशल को सुधारने की आवश्यकता है। यह शिक्षार्थियों द्वारा प्राप्त किए जा रहे वास्तविक प्रशिक्षण के अतिरिक्त होगा।
- च. समूची प्रशिक्षण प्रक्रिया में सहायता के लिए प्रासंगिक माने जाने वाले कोई अन्य अतिरिक्त एनयूएस/एमसी
- एबी द्वारा यह सुनिश्चित किया जाएगा कि ईएस और ब्रिज मॉड्यूल की सामग्री के बीच कोई ओवरलेप नहीं हो। तथापि, यदि आवश्यक समझा जाए, तो एबी किसी भी सामग्री पर अतिरिक्त शिक्षण प्रदान करता है। एबी में ब्रिज मॉड्यूल के भाग के रूप में एसएचआई प्रशिक्षणार्थियों के लिए अर्हताओं के मामले में बेसिक आईएसएल अथवा एलवी/ वीआई के प्रशिक्षणार्थियों के मामले में बेसिक ब्रेल जैसे विशिष्ट शिक्षण के मॉड्यूल भी शामिल हैं।

4.3 दिव्यांग विशिष्ट अर्हता के लिए प्रशिक्षक और मूल्यांकनकर्ताओं की अपेक्षाएं

4.3.1 प्रशिक्षकों की अपेक्षाएं

- प्रशिक्षक को संबंधित डोमेन क्षेत्र और जॉब भूमिका की जानकारी होनी चाहिए।
- प्रशिक्षक को डोमेन एबी द्वारा निर्धारित शिक्षा और अनुभव की अपेक्षा को पूरा करना होगा।
- एक प्रमाणित दिव्यांग प्रशिक्षक से तात्पर्य होगा :
 - एनसीवीईटी के टीओटी दिशानिर्देशों के अनुसार प्रमाणित टीओटी प्रशिक्षक
 - दिव्यांगता विशिष्ट अतिरिक्त दिव्यांग प्रशिक्षक मॉड्यूल पूरा करना होगा।
- योजना या संबंधित लाइन मंत्रालय द्वारा निर्धारित कोई अन्य विशिष्ट अपेक्षाएं
- दिव्यांगजन कौशल परिषद् (एससीपीडब्ल्यूडी) के साथ काम करने वाले मौजूदा मूल्यांकनकर्ता, जो टीओए प्रमाणित नहीं हैं, मूल्यांकनकर्ता के रूप में काम करना जारी रख सकते हैं। तथापि, उन्हें इन सुगम्य दिशानिर्देशों की अधिसूचना के दो (2) वर्षों के भीतर एनसीवीईटी के टीओए दिशानिर्देशों का पालन करना होगा।

4.3.2 मास्टर प्रशिक्षकों की अपेक्षाएं

- मास्टर प्रशिक्षक एक प्रमाणित टीओटी प्रशिक्षक होता है, जिसके पास दिव्यांगजनों के साथ 5 वर्ष का कार्य करने का अनुभव होता है।

4.3.3 मूल्यांकनकर्ताओं की अपेक्षाएं

- i. मूल्यांकनकर्ता को संबंधित डोमेन क्षेत्र और जॉब भूमिका का ज्ञान होना चाहिए।
- ii. मूल्यांकनकर्ता को डोमेन एबी द्वारा निर्धारित शिक्षा और अनुभव तथा अनुभव अपेक्षा का पूरा करना चाहिए।
- iii. प्रमाणित दिव्यांग मूल्यांकनकर्ता से तात्पर्य होगा :
 - i) एनसीवीईटी के टीओए दिशानिर्देशों के अनुसार प्रमाणित टीओए मूल्यांकनकर्ता
 - ii) मूल्यांकनकर्ताओं के लिए लागू दिव्यांगता विशिष्ट अतिरिक्त दिव्यांग प्रशिक्षण मॉड्यूल प्राप्त करना होगा।
- iv. योजना या संबंधित मंत्रालय द्वारा निर्धारित किसी भी अन्य विशिष्ट अपेक्षाओं को पूरा करना होगा।
- v. एससीपीडब्ल्यूडी के साथ काम करने वाले मौजूदा मूल्यांकनकर्ता, जो टीओए प्रमाणित नहीं हैं, मूल्यांकनकर्ता के रूप में काम करना जारी रख सकते हैं। तथापि, उन्हें इन सुगम्य दिशानिर्देशों की अधिसूचना के दो (2) वर्षों के भीतर एनसीवीईटी के टीओए दिशानिर्देशों का पालन करना होगा।

4.4 एनसीआरएफ और अन्य सरकारी प्रावधानों के साथ संरेखण

दिव्यांगजनों को प्रस्तावित किए जा रहे कार्यक्रम भी राष्ट्रीय क्रेडिट फ्रेमवर्क (एनसीआरएफ) के प्रावधानों के तहत होंगे। इसका तात्पर्य यह है कि एक वर्ष के लिए निर्धारित अवधि 1200 घंटों की होगी, जिससे 40 क्रेडिट मिलेंगे। तथापि, जहाँ पाठ्यक्रम अन्य क्षेत्रों में अपनाए गए हैं और दिव्यांगों की व्याख्यात्मक और अतिरिक्त शिक्षण की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए अवधि अधिक है, वहाँ मूल पाठ्यक्रम को दिए गए क्रेडिट लागू होंगे। इसका तात्पर्य यह है कि शिक्षण की गति के बावजूद, अर्हता के लिए क्रेडिट, डोमेन एबी अर्हता के समान रहेंगे।

दिव्यांगों के लिए कौशल प्रशिक्षण भी दिव्यांगजन कौशल विकास के लिए राष्ट्रीय कार्य योजना (दिव्यांगजन अधिनियम के कार्यान्वयन के लिए योजना के तहत) द्वारा संचालित होते हैं, जिसे पीएम दक्ष डीईपीडब्ल्यूडी डिजिटल पोर्टल के माध्यम से दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग (डीईपीडब्ल्यूडी) द्वारा कार्यान्वित किया जाता है।

5. दिव्यांगजन क्षेत्र में व्यावसायिक शिक्षा, प्रशिक्षण और कौशल में विभिन्न हितधारकों की भूमिका

5.1 अवार्डिंग निकाय

अवार्डिंग निकाय को एक ऐसी संस्था के रूप में परिभाषित किया जाता है, जो गुणवत्तापूर्ण प्रशिक्षण और विश्वसनीय मूल्यांकन सुनिश्चित करके प्रशिक्षणार्थियों को अनुमोदित अर्हता के लिए प्रमाणपत्र प्रदान करते हैं या प्रदान करने का प्रस्ताव करते हैं। अवार्डिंग निकाय दिव्यांगजन क्षेत्र की व्यावसायिक शिक्षा में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं।

क. अर्हताएं : दिव्यांगजन प्रशिक्षणार्थियों की आवश्यकताओं को प्राथमिकता के रूप में रखते हुए उद्योग की मांग के अनुरूप एनएसक्यूएफ संरेखित और अनुमोदित अर्हता का निर्माण/ अंगीकरण करना।

- ख. **शिक्षण संसाधन का विकास करना** : दिव्यांगजनों के अनुकूल और निर्धारित मानकों के अनुसार एनएसक्यूएफ संरेखित और अनुमोदित अर्हताओं के संबंध में शिक्षण संसाधनों/ सामग्री का सृजन करना।
- ग. **निगरानी और मूल्यांकन** : अवार्डिंग निकाय यह सुनिश्चित करेंगे कि मूल्यांकन एजेंसी और प्रशिक्षण भागीदारों द्वारा निर्धारित दिशानिर्देशों का पालन किया जाए। इससे सुधार के क्षेत्रों की पहचान करने और दिशानिर्देशों व जमीनी अभ्यास में अंतर को समझने में मदद मिलेगी।
- घ. **समर्थन** : अवार्डिंग निकाय दिव्यांगजनों को कौशल प्रदान करने के महत्व को बढ़ावा दे सकते हैं, उद्योग जगत के नेताओं और कौशल प्रदान करने वाले पारिस्थितिकी तंत्र में अन्य महत्वपूर्ण भागीदारों से जुड़ सकते हैं ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि वे ऐसी रोजगार नीतियाँ बना रहे हैं, जो दिव्यांगजनों को समायोजित कर सके और जिससे नौकरियों में वृद्धि हो सके।
- ङ. **प्रशिक्षण केन्द्रों में आवश्यक अवसंरचना** : एबी पर यह सुनिश्चित करने की भी जिम्मेदारी है कि प्रशिक्षण केन्द्रों में ऐसी अवसंरचना हो, जो सुलभ हो और दिव्यांगजनों के अनुकूल हो।
- च. **प्रशिक्षित प्रशिक्षक और मूल्यांकनकर्ता की उपलब्धता** : एबी को दिव्यांगजनों को प्रमाणित करने वाले प्रशिक्षकों और मूल्यांकनकर्ताओं की उपलब्धता सुनिश्चित करनी होगी और नियमित आधार पर दिव्यांगजनों से जुड़े कर्मचारियों के बीच जागरूकता उत्पन्न करनी होगी तथा उन्हें जागरूक करना होगा। इसके अलावा, दिव्यांगजनों के साथ जुड़ने और उन्हें प्रशिक्षक व मूल्यांकनकर्ता के रूप में प्रशिक्षित करने के लिए एबी को अत्यधिक सिफारिश की जाती है। इससे न केवल समावेशिता सुनिश्चित होगी, बल्कि दिव्यांगजनों के जीवन के अनुभवों के आधार पर गुणवत्तापूर्ण प्रशिक्षण भी सुनिश्चित होगा। साथ ही, इन दिव्यांग प्रशिक्षकों/ मूल्यांकनकर्ताओं को उनके यूडीआईडी कार्ड नंबर के माध्यम से प्रशिक्षण के लिए नामित किया जा सकता है ताकि एक सत्यापन करने योग्य डेटा बेस तैयार हो सके।
- छ. **दिव्यांगजनों का समावेशन सुनिश्चित करना** : कौशल प्रशिक्षण कार्यक्रमों में दिव्यांगजनों को शामिल किए जाने को प्रोत्साहित करने के लिए, अवार्डिंग निकायों द्वारा यह सुनिश्चित किया जाएगा कि कौशल प्रशिक्षण के लिए नामित किए गए कुल अभ्यर्थियों में से कम से कम 5 प्रतिशत दिव्यांगजन हों।
- ज. **दिव्यांगजनों और उनके प्रशिक्षण के संबंध में एबी को सरकारी मानदंडों और नीतियों का पालन करना होगा।** इसके अलावा, पुरजोर प्रोत्साहन दिया जाता है कि एबी ऐसे दिव्यांगजनों को कौशल प्रशिक्षण प्रदान करे, जो बेंचमार्क दिव्यांगता के अंतर्गत नहीं आते, अर्थात् दिव्यांगजनों का समावेशी और न्यायसंगत कौशल प्रशिक्षण सुनिश्चित करने के लिए 40 प्रतिशत से कम दिव्यांगता वाले हों।
- झ. **एबी को दिव्यांगजनों के लिए रोजगार के अवसरों की खोज के लिए एकल मंच तैयार करने के लिए अपने उद्योग भागीदारों को डीईपीडब्ल्यूडी के पीएम-दक्ष डीईपीडब्ल्यूडी रोजगार सेतु से भी जोड़ा जाए।** इसके अलावा, दिव्यांगजनों को रोजगार सुनिश्चित करने के लिए दिव्यांगजनों को राष्ट्रीय दिव्यांगजन वित्त विकास निगम, एटिपिकल एडवांटेज स्वराज एबिलिटी (यूथ 4 जॉब्स), रोजगार सारथी (सार्थक एजुकेशन ट्रस्ट) जैसे विभिन्न जॉब एग्रीगेटर्स और जॉब मेला आयोजकों के साथ भी जुड़ना चाहिए।
- ञ. **सभी अवार्डिंग निकायों के लिए पीएम-दक्ष डीईपीडब्ल्यूडी पोर्टल के साथ दो तरफा एपीआई एकीकरण करना अनिवार्य है ताकि सभी दिव्यांग छात्रों को अवार्डिंग निकायों द्वारा प्रस्तुत किए जाने वाले विभिन्न कौशल पाठ्यक्रमों और विभिन्न अवार्डिंग निकायों के जॉब पोर्टलों तक पहुंच मिल सके।**

- ट. कौशल प्रशिक्षण में दिव्यांगजनों के पंजीकरण/ नामांकन के **यूडीआईडी कार्ड या यूडीआईडी पंजीयन संख्या** से जोड़ा जा सकता है और दिव्यांगजनों के पंजीकरण/ पंजीयन के लिए अवार्डिंग निकायों के डिजिटल पोर्टल के साथ यूडीए डेटा बेस के एपीआई एकीकरण के लिए विभाग से संपर्क किया जा सकता है।

5.2 मूल्यांकन एजेंसियाँ

दिव्यांग प्रशिक्षणार्थियों को मूल्यांकन और परीक्षण के दौरान समायोजित करने की कार्यनीतियाँ इस तरह से बनाई जानी चाहिए कि दिव्यांग प्रशिक्षणार्थियों के साथ उचित व्यवहार किया जाए और उनसे जिस विषय या कौशल को जानने या प्रदर्शित करने की अपेक्षा की जाती है, उससे समझौता न किया जाए। दिव्यांगों की समावेशिता सुनिश्चित करने के लिए मूल्यांकन एजेंसियों द्वारा निम्नलिखित सुनिश्चित किया जाए :

- क. **सुगम्य और मैत्रीपूर्ण वातावरण** : एए को सुगम्य मूल्यांकन स्थान और संसाधन सुनिश्चित करने चाहिए जैसे कि न्यूनतम विकर्षण, उचित प्रकाश व्यवस्था, कृत्रिम उकरणों और कम तकनीक वाले सहायक उपकरणों के उपयोग की अनुमति देना।
- ख. **मूल्यांकन कार्यनीति** : एए को किसी विशेष दिव्यांगता वाले अभ्यर्थियों के मूल्यांकन के लिए उचित कार्यनीति सुनिश्चित करनी चाहिए। जैसे लिखित परीक्षा का प्रिंट परिवर्तित करना (जैसे फोंट आकार, रंग) या दृष्टि बाधित होने पर दृष्टि बाधित व्यक्ति की स्थिति में दृष्टि बाधित व्यक्ति के स्तर के आधार पर रीडर की अनुमति देना। इसमें दिव्यांग व्यक्तियों को दृष्टि बाधित व्यक्तियों को उनकी दिव्यांगता के अनुसार विभिन्न मूल्यांकन पद्धतियों के बीच चयन करने की अनुमति देना शामिल हो सकता है। उदाहरण के लिए दृष्टि बाधित व्यक्ति अपने उत्तरों को रिकॉर्ड करने के लिए स्क्राइब लेखक (कोई अन्य जो उनके लिए लिखेगा) का उपयोग करना चुन सकता है या अपने मूल्यांकन के लिए ऑडियो रिकॉर्डर या लैपटॉप/ टैबलेट/ कंप्यूटर का उपयोग कर सकते हैं। श्रवण बाधित व्यक्तियों के लिए वीडियोग्राफी या दुभाषिया या वीडियो रिले सेवाओं के माध्यम से भारतीय सांकेतिक भाषा में प्रश्न/ उत्तर, सेरेब्रल पाल्सी या लोकोमोटर दिव्यांगता वाले व्यक्तियों के लिए मूल्यांकन में उपस्थित होने के लिए कीबोर्ड आधारित पहुंच प्रदान करना, जो माउस का संचालन नहीं कर सकते, उत्तर प्रदान करने में कैलकुलेटर या संचार उपकरण प्रदान करना, किसी परीक्षण को पूरा करने के लिए सिलाई मशीन पर कपड़े के लिए एक गाइड जैसे विशिष्ट उपकरण का प्रयोग करने की अनुमति है।
- ग. इसके अलावा, मूल्यांकन और प्रमाणन के संबंध में, अवार्डिंग निकाय एनओएस आधारित मूल्यांकन करेंगे और तदनुसार मार्कशीट तथा प्रमाणपत्र प्रदान करेंगे।
- घ. आरपीडब्ल्यूडी अधिनियम, 2016 के अनुसार दिव्यांग व्यक्तियों को उपस्थिति और सिद्धान्त के उत्तीर्ण अंकों में उचित समायोजन दिया जा सकता है और तदनुसार व्यवहारिक में प्राप्त अंकों पर ध्यान केन्द्रित किया जा सकता है।
- ड. **तन्य (फ्लेक्सिबल) अवधि** : परीक्षा देने के लिए समय बढ़ाने की अनुमति देना, बढ़ाई गई समय अवधि के दौरान ब्रेक की संख्या बढ़ाने की अनुमति देना।
- च. **यह सुनिश्चित करना कि दिव्यांगजन प्रशिक्षित मूल्यांकनकर्ताओं को ही नियुक्त किया जाए:** मूल्यांकन एजेंसियाँ विशिष्ट दिव्यांग मूल्यांकनकर्ताओं को लगाएं। एए यह सुनिश्चित करे कि वे एक अर्हता प्राप्त

और जानकार मूल्यांकनकर्ता को भेजा जा रहा है और मूल्यांकनकर्ता के पास दिव्यांग अभ्यर्थियों के लिए भी मूल्यांकन करने के लिए आवश्यक उपकरण और सूचना होनी चाहिए।

5.3 प्रशिक्षण केन्द्र

क. **जागरूक और संवेदनशील** : प्रशिक्षण केन्द्र को विभिन्न प्रकार की दिव्यांगताओं की आवश्यकताओं के बारे में जानकारी होनी चाहिए और अपने कर्मचारियों को तदनुसार संवेदनशील बनाना चाहिए। प्रशिक्षण केन्द्र के पास निम्नलिखित जानकारी होनी चाहिए :

- i. दिव्यांगता के कितने प्रकार हैं?
- ii. उनकी विशिष्ट जरूरतें क्या हैं?
- iii. क्या प्रशिक्षणार्थी, जो पंजीकृत होना चाहते हैं, तैयार हैं? यदि नहीं, तो उन्हें तैयार करने के लिए क्या आवश्यक है, जैसे आत्मविश्वास निर्माण प्रशिक्षण?
- iv. क्या अवसंरचना इन दिशानिर्देशों में उल्लिखित मानकों के अनुरूप है?

ख. **परामर्श** : एक अच्छा प्रशिक्षण केन्द्र प्रशिक्षार्थियों की क्षमताओं और रुचियों का मूल्यांकन करता है और उन्हें आवश्यक सहायता तथा मार्गदर्शन के साथ प्रशिक्षण के अवसरों का विकल्प देता है।

ग. **समावेशिता को बढ़ावा देने वाले व्यवहार**: प्रशिक्षण सुविधाओं से अपेक्षा की जाती है कि वे कार्रवाई में समावेशिता दिखाएं और दिव्यांगों के प्रशिक्षण के माध्यम से जागरूकता पैदा करें। यह विभिन्न तरीकों से किया जा सकता है जैसे -

- i. प्रशिक्षण केन्द्र के सभी कर्मचारियों को दिव्यांगों के अधिकारों और विनियमों पर नियमित प्रशिक्षक प्रदान करें।
- ii. प्रासंगिक व्यावसायिक शिक्षा के समावेश और सकारात्मक पहलुओं के लिए दिव्यांग अभ्यर्थियों और उनके परिवारों के लिए एक विशेष प्रशिक्षण कार्यक्रम बनाएं। इसके अलावा, पारिस्थितिकी तंत्र में नियोक्ताओं और उद्योग स्तर के निर्णय निर्माताओं सहित सामुदायिक नेताओं को शिक्षित करें।

5.4 नियामक निकाय (एनसीवीईटी)

क. एनसीवीईटी की भूमिका गुणवत्तापूर्ण परिणाम सुनिश्चित करने के लिए न्यूनतम मानक स्थापित करके व्यावसायिक शिक्षा, प्रशिक्षण और कौशल में लगी संस्थाओं के कामकाज को विनियमित करना है।

ख. एनसीवीईटी एनएसक्यूएफ संरेखण का कार्य करेगा और दिव्यांगजनों के लिए लागू आवश्यक संशोधन के साथ प्रशिक्षण संस्थानों में कार्यान्वयन के लिए अर्हता की मंजूरी सुनिश्चित करेगा।

ग. एनसीवीईटी पाठ्यक्रमों का निरंतर मूल्यांकन करेगा और उद्योग मानकों के अनुसार उनकी प्रासंगिकता देखेगा।

घ. दिव्यांगजनों के लिए व्यावसायिक शिक्षा के कार्यान्वयन पर अवार्डिंग निकायों के कामकाज की निगरानी करेगा।

ड. दिव्यांगजनों के लिए अर्हता में प्रशिक्षण के कार्यान्वयन के लिए प्रशिक्षकों और मूल्यांकनकर्ताओं की क्षमता निर्माण की सुविधा प्रदान करेगा।

5.5 केन्द्रीय मंत्रालय/ विभाग और राज्य सरकारी निकाय

भारत के कौशल पारिस्थितिकी तंत्र में कई केन्द्रीय मंत्रालय और राज्य सरकारें हैं, जो महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती हैं। ये विभाग दिव्यांगजनों के कौशल विकास में कई तरीके से महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं।

5.5.1 केन्द्रीय मंत्रालय और विभाग

- क. सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय : सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय विभिन्न योजनाएं शुरू कर सकता है, जो कौशल उद्योग और अन्य सामाजिक क्रियाकलापों में दिव्यांगों के प्रतिनिधित्व में वृद्धि सुनिश्चित कर सकती है।
- ख. दिव्यांगजनों के कौशल विकास के लिए राष्ट्रीय कार्य योजना के तहत दिव्यांगजनों को 300 से अधिक एनसीवीईटी प्रमाणित जॉब भूमिकाओं में आवासीय और गैर-आवासीय कौशल प्रशिक्षण प्रदान किया जाता है।
- ग. श्रम और रोजगार मंत्रालय यह सुनिश्चित कर सकता है कि विभिन्न कौशल पाठ्यक्रमों के तहत प्रशिक्षित उम्मीदवारों के लिए रोजगार के पर्याप्त अवसर सृजित हों। श्रम और रोजगार मंत्रालय ने दिव्यांगजनों को कौशल प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए दिव्यांगजनों के लिए 24 राष्ट्रीय करियर सेवा केन्द्र स्थापित किए गए हैं।

5.5.2 राज्य सरकार और विभाग

राज्य सरकारें दिव्यांगजनों के लिए समर्पित प्रशिक्षण केन्द्र (टीसी) स्थापित करने पर काम कर सकती हैं, जो सुलभ और सहायक प्रौद्योगिकियों से सज्जित हों। विभिन्न राज्य सरकारी विभाग दिव्यांगजनों को कुशल श्रमिक या उद्यमी बनने की यात्रा में वित्तीय सहायता और समर्थन प्रदान करने में प्रमुख भूमिका निभा सकते हैं।

5.6 उद्योग

- क. प्रशिक्षण और मूल्यांकन में विशेषज्ञों के रूप में संबंधित उद्योग से अनुभवी व्यक्तियों की भागीदारी।
- ख. दिव्यांगजनों की आवश्यकताओं और उद्योग मानदंडों के अनुसार अर्हता, इसके पाठ्यक्रम और सामग्री को तैयार करने में दिव्यांगजनों के साथ जुड़ना।
- ग. बाजार प्रासंगिक और निष्पक्ष मूल्यांकन का समर्थन करने के लिए उपयुक्त मूल्यांकन उपकरण डिजाइन करने के लिए एए के साथ जुड़ना।
- घ. उद्योग प्रशिक्षण और मूल्यांकन के लिए क्रमशः प्रशिक्षक और मूल्यांकनकर्ता प्रदान करेगा तथा दिव्यांगजनों की आवश्यकताओं के अनुसार उन्हें प्रशिक्षित करेगा।
- ङ. उम्मीदवारों को लाभकारी रोजगार प्राप्त करने में मदद करने के लिए उद्योग।
- च. दिव्यांगजनों के प्रति लोगों में जागरूकता पैदा करने और उन्हें संवेदनशील बनाने के लिए उद्योग।
- छ. सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय, भारत सरकार के दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग ने एक डिजिटल पोर्टल - पीएम दक्ष डीईपीडब्ल्यूडी (www.pmdaksh.depwd.gov.in) विकसित किया है। पीएम दक्ष डीईपीडब्ल्यूडी के तहत दिव्यांगजन रोजगार सेतु को एक जॉब एग्रीगेटर प्लेटफॉर्म के रूप में बनाया गया है। इस प्लेटफॉर्म का उद्देश्य भारत भर में रोजगार के अवसरों को एकत्रित करना और दिव्यांगजनों

को रिक्तियों पर विस्तृत जियोटैग की नई जानकारी प्रदान करना है। दिव्यांगजन अपने यूडीआईडी सं./ यूडीआईडी पंजीकरण सं. के माध्यम से पीएम दक्ष डीईपीडब्ल्यूडी पर स्वयं को पंजीकृत कर सकते हैं।

- ज. भारत के दिव्यांगजनों को रोजगार के अवसर प्रदान करने के उद्देश्य से विभिन्न जॉब एग्रीगेटर के साथ-साथ दिव्यांग नियोक्ताओं को पीएम दक्ष डीईपीडब्ल्यूडी के रोजगार सेतु में शामिल किया गया है। इस प्रकार दिव्यांगजनों को काम पर रखने वाले उद्योगों को उद्योग की आवश्यकताओं के अनुसार दिव्यांगजनों को जोड़ने के लिए डीईपीडब्ल्यूडी के साथ सहयोग करना चाहिए।

6. दिशानिर्देशों को समय-समय पर संशोधित/अद्यतन करने के लिए प्रक्रिया

- क. सार्वजनिक परामर्श की उचित प्रक्रिया का पालन करने के बाद परिषद् के अनुमोदन से दिशानिर्देश जारी किए जाएंगे। दिशानिर्देश एनसीवीईटी द्वारा सभी हितधारकों के परामर्श से तैयार किए जाएंगे और उसके बाद 21 दिनों के लिए सार्वजनिक परामर्श के लिए जारी किए जाएंगे। 21 दिनों के सार्वजनिक परामर्श के बाद, सभी टिप्पणियों/ सुझावों का मूल्यांकन किया जाएगा और प्रासंगिकता/ आवश्यकता के अनुसार उन्हें शामिल किया जाएगा। उसके बाद मसौदा दिशानिर्देश को एनसीवीईटी के परिषद् समिति द्वारा अनुमोदित किया जाएगा और कार्यान्वयन के लिए जारी किया जाएगा।
- ख. एनसीवीईटी के अध्यक्ष के अनुमोदन से कार्यान्वयन में कठिनाई को दूर करना।
- ग. एनसीवीईटी द्वारा दिशानिर्देशों का स्वामित्व किसी सलाहकार/ अधिकारी/ टीम/ समिति को सौंपा जाएगा। दिशानिर्देशों के स्वामी को नीति के कार्यान्वयन के दौरान आने वाली सभी चुनौतियों/ कठिनाइयों का रिकॉर्ड बनाने की जिम्मेदारी दी जाएगी। इसके बाद, इन चुनौतियों/ कठिनाइयों का मूल्यांकन किया जाएगा और एनसीवीईटी के अध्यक्ष के अनुमोदन से संभावित समाधान प्रदान किया जाएगा।
- घ. दिशानिर्देशों के तहत जारी की जाने वाली सभी अधिसूचनाएं एनसीवीईटी के अध्यक्ष के अनुमोदन से जारी की जाएंगी। तत्काल/ अल्प संशोधन एनसीवीईटी के अध्यक्ष के अनुमोदन से जारी किए जाने आवश्यक हैं और परिषद् द्वारा बाद में अनुमोदित किए जाने चाहिए। दिशानिर्देशों के किसी भी प्रावधान के बारे में परिषद् की व्याख्या अंतिम होगी।

संदर्भ ग्रंथ सूची

1. प्रारूप राष्ट्रीय दिव्यांगजन नीति 2022
2. एमएसजेई दिव्यांगजन वार्षिक रिपोर्ट 2021-22
3. दिव्यांगजनों के कौशल विकास के लिए राष्ट्रीय कार्य योजना
4. राष्ट्रीय दिव्यांगजन नीति 2006
5. अशक्त व्यक्तियों के लिए सीपीडब्ल्यूडी दिशानिर्देश
6. डीईपीडब्ल्यूडी वेबसाइट
7. एआसीटीई वेबसाइट
8. दिव्यांगजनों पर अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन की रिपोर्ट
9. ओहियो स्टेट डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन, कोलम्बस, ऑफिस ऑफ स्पेशल एजुकेशन एंड रिहैबिलिटेटिव सर्विसेज (ईडी) रिपोर्ट

संक्षिप्ताक्षर:-

शब्द	विवरण
क्यूएफ	अर्हता फाइल
एनएसक्यूएफ	राष्ट्रीय कौशल अर्हता फ्रेमवर्क
डीईपीडब्ल्यूडी	दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग
एनएसक्यूसी	राष्ट्रीय कौशल अर्हता समिति
एनओएस	राष्ट्रीय व्यावसायिक मानक
एसएससी	कौशल क्षेत्र परिषद्
एनसीओ	राष्ट्रीय व्यावसाय वर्गीकरण
आईएसओ	अंतर्राष्ट्रीय मानकीकरण संगठन
एसएलए	सेवा स्तरीय करार
पीसी	निष्पादन मानदंड
पीडब्ल्यूडी	दिव्यांग जन
एसओपी	मानक संचालन प्रक्रिया
एलडी	लोकोमोटर दिव्यांगता
एसएचआई	वाणी और श्रवण बाधा
एलवी	कमजोर दृष्टि (दृष्टि बाधा)
वीआई	दृष्टिहीनता/ दृष्टि बाधा
आईटी	सूचना प्रौद्योगिकी